

लघु बैटरी उद्योग को सुदृढ़ बनाने के लिए 1985 से कार्यरत

बैटरी डायरेक्टरी एंड ईयर बुक



पाक्षिक अंक 1-15 मई 2026
वर्ष 41, अंक 9, प्रकाशित 12 मई 2026

एक अंक का मूल्य: ₹ 5/-, वार्षिक मूल्य: ₹ 650/-

Contents on
page no. 10

BATTERY DIRECTORY & YEAR BOOK

MICROTEX[®]

Since 1969

LIMITLESS[™]
TRACTION POWER



For Battery operated forklifts

Ranging from 24V to 96V with welded or bolt-on terminals
PzB from 42Ah to 1404Ah PzS from 100Ah to 1550Ah



Traction

Dealership enquiries invited



Website

www.microtex.com

info@microtex.com

+91 9686 448899

Better capacity | Better performance | Better life

Contents

SWARAJYA

IGBT Charger with Regenerative Discharger



Product Range:

- IGBT Based Charger / Discharger
- Battery Life Cycle Tester
- Battery Capacity Tester
- Battery Load Tester
- Electroplating & Industrial Rectifier

Regenerative Charger / Discharger

IGBT based Technology
Fully Automatic Operation

Compact Size to save space
Highly Reliable & Low Maintenance

Save Electricity

Completely Ripple free pure DC Charging

Regenerative Discharging without Heater

10 x 10 Easily Programmable Charge, Rest & Discharge Timers.

Constant Current Constant Voltage (CC-CV) Charging

Discharging power used to charge other circuit batteries

Multiple Chargers can be interconnected to share Discharging Power

India's Most Advanced Charger Technology

In-house R&D Lab Customized Product also available

B-31, DSIIDC Engineering Complex, Phase-1, Mangolpuri Industrial Area, Delhi- 110083

Mob.: 9560409195, Email: charger.swarajya@gmail.com

Website: ChargerDischarger.com

बैटरी डायरेक्टरी एण्ड इयर बुक (वर्ष 41 अंक 9)

1-15 मई 2026 (प्रकाशित 12.05.2026)

Since 1982



DRIVE WITH
MORE POWER
Higher Cranking Power



Regd. Office & Factory :

- Rajkot Road, Hapa - 361120
Dist. Jamnagar, (Gujarat) India.
- tel : +91 288257 11 20/21
Mob. No. : +91 93770 09303
- marketing@goldstarpower.com

SALES INQUIRY : 99099 50303

**AUTOMOTIVE / TUBULAR / SOLAR / VRLA
E-RICKSHAW & MOTORCYCLE BATTERIES**

Branch Office:

- 3, J.P. Estate, B/H. Sukh sagar
hotel, sanand cross road, sarkhej,
ahmedabad - 382 210 (Gujarat) India.
- tel : +91 79 268 90 901
- ahmedabad@goldstarpower.com

बैटरी डायरेक्टरी एण्ड ईयर बुक (वर्ष 41 अंक 9)

1-15 मई 2026 (प्रकाशित 12.05.2026)

MAC

ENGINEERING & EQUIPMENT

सर्विस

वारंटी को बरकरार रखते हुए
मशीन का रखरखाव करने के लिए
फ़ैक्टरी प्रशिक्षित सर्विस तकनीशियन।

करस्टमर फोकस

समर्पित टीम साथ मिलकर
मशीन को बेहतर ढंग से संचालित करने
के लिए पुर्जों और रखरखाव का शेड्यूल तैयार रखेगी।

वर्ल्डवाइड सपोर्ट

अमेरिका और भारत में कार्यालयों के साथ, दुनिया भर के
ग्राहकों को उत्पाद बेचता है और उनका समर्थन करता है।

बैटरी निर्माण विशेषज्ञ

बैटरी निर्माण उपकरणों में विशेषज्ञता, जिनमें शामिल हैं:
पेस्टिंग, फ्लैश ड्राई, स्टैकिंग, असेंबली,
ड्राई चार्ज और ऑटोमेशन उपकरण।



MAC सपोर्ट टीम पुणे, इंडिया में उपलब्ध



Women in the
Global Battery Industry
SUSTAINING SPONSOR



+1 269-925-3295
+17706058764



maceng@mac-eng.com



www.mac-eng.com



MAC Engineering
and Equipment Co.,

बैटरी डायरेक्टरी एंड ईयर बुक

बार-बार सबस्क्राइब करने से पाएं छुटकारा
बनें लाइफमेम्बर
शुल्क मात्र 10,000 रूपए

ट्रांसफर या पेटीएम करके
बैटरी डायरेक्टरी आजीवन प्राप्त कीजिए।
वार्षिक डायरेक्टरी में आपकी फर्म का विवरण
मुफ्त छपता रहेगा और पाक्षिक व वार्षिक अंक
बराबर मिलते रहेंगे।

शुल्क निम्नलिखित में से किसी भी एकाउंट में जमा करा कर सूचित करें :-

BANK ACCOUNT of BATTERY DIRECTORY AND YEAR BOOK			
BANK NAME	ACCOUNT NO	IFSC CODE	BRANCH ADDRESS
UNION BANK OF INDIA	565101000013133	UBIN0920711	GTB Enclave, NVM, Delhi-110 093
PhonePe / Google Pay / Paytm A/c	CHANDRA MOHAN - Mobile No. 9810268067		



बैटरी डायरेक्टरी एंड ईयर बुक

510, जनता फ्लेट्स, जी.टी.बी. एन्क्लेव, दिल्ली-110093
मोबाइल: 9810268067, 9971150801, 9910699538
Email: battdir@gmail.com

www.batterydirectory.co.in | onlinebatterydirectory.com

Jiangsu Derongfu Rubber & Plastic Technology Co., Ltd

PE Separators

Industrial/E-Rickshaw (More Power)




Thickness PE 0.6~1.7mm

PE(0.7~1.3mm)+GM(0.3~0.6mm)



Thickness PE 0.6~1.7mm

Automotive (Higher CCA)



PE(0.7~1.3mm)+GM(0.3~0.6mm)

AGM Separators (Longer Lifespan)



Looking for A Sole Agent
in Your Area



India Office Add:E-305, Khokhra Cir, Maninagar East, Maninagar, AHMEDABAD-382430, Gujarat.

Factory Add:No. 89, Ganjin Rd., Hongguang Village, Baqiao Town,
Yangzhong City, Zhenjiang, Jiangsu Province, China.

Website:www.jsdf-tech.com

Email:drf-separator@hotmail.com / market@jsdf-tech.com



WhatsApp:

+91-8129982325

+86-18952850039

बैटरी डायरेक्टरी का डिजिटल वर्जन ऑनलाइन बैटरी डायरेक्टरी में शामिल सभी

आयातक
निर्यातक
ISO फर्म
वितरक
निर्माता
डीलर
ईमेल

ऑनलाइन देखें
एक क्लिक पर



हार्ड कापी 650 रु.

ऑन लाइन बैटरी डायरेक्टरी वार्षिक शुल्क 1000 रु.

शुल्क निम्नलिखित में से किसी भी एकाउंट में जमा करा कर सूचित करें :-

BANK ACCOUNT of BATTERY DIRECTORY AND YEAR BOOK			
BANK NAME	ACCOUNT NO	IFSC CODE	BRANCH ADDRESS
UNION BANK OF INDIA	565101000013133	UBIN0920711	GTB Enclave, NVM, Delhi-110 093
PhonePe / Google Pay / Paytm A/c	CHANDRA MOHAN - Mobile No. 9810268067		

सदैव अपडेटेड रहें



बैटरी डायरेक्टरी एंड ईयर बुक

510, जनता फ्लेट्स, जी.टी.बी. एन्क्लेव, दिल्ली-110093

मोबाइल 9810268067, 9971150801, 9910699538

E-mail: battdir@gmail.com

www.onlinebatterydirectory.com | batterydirectory.co.in

बैटरी डायरेक्टरी एंड ईयर बुक (वर्ष 41 अंक 9)

1-15 मई 2026 (प्रकाशित 12.05.2026)

बैटरी डायरेक्टरी एंड ईयर बुक-2026

के लिए वार्षिक शुल्क केवल
₹ 650



पेटीएम, बैंक ट्रांसफर या QR कोड स्कैन करके
बैटरी डायरेक्टरी और साल भर तक पाक्षिक अंक प्राप्त कीजिए।

डायरेक्टरी में अपडेट रहने के लिए सदस्यता को रिन्यू कराएं

शुल्क निम्नलिखित में से किसी भी एकाउंट में जमा करा कर सूचित करें :-



BANK ACCOUNT of BATTERY DIRECTORY AND YEAR BOOK			
BANK NAME	ACCOUNT NO	IFSC CODE	BRANCH ADDRESS
UNION BANK OF INDIA	565101000013133	UBIN0920711	GTB Enclave, NVM, Delhi-110 093
PhonePe / Google Pay / Paytm A/c	CHANDRA MOHAN - Mobile No. 9810268067		

सदस्य बनने के लिए संपर्क करें:-
9971150801, 9810268067

Stay Updated All The Time!!!

ONLINE BATTERY DIRECTORY
A Digital Version of Battery Directory
NOW YOU CAN SEE LIST OF ALL -

**MANUFACTURERS | DISTRIBUTORS | EXPORTERS |
IMPORTERS | ISO FIRMS | DEALERS | EMAILS**

Annual - Hard Copy : Rs. 650/- | Online Directory : Rs. 1000/- | Both Editions : Rs. 1650/-
You may deposit amount in any of the following account:-

BANK ACCOUNT of BATTERY DIRECTORY AND YEAR BOOK			
BANK NAME	ACCOUNT NO	IFSC CODE	BRANCH ADDRESS
UNION BANK OF INDIA	565101000013133	UBIN0920711	GTB Enclave, NVM, Delhi-110 093
PhonePe / Google Pay / Paytm A/c	CHANDRA MOHAN - Mobile No. 9810268067		



BATTERY DIRECTORY & YEAR BOOK

510, Janta Flats , G.T.B. Enclave, DELHI-110 093
Mob.: +91 9810268067, Shekhar : +91 9910699538
E-mail : battdir@gmail.com

Website : www.batterydirectory.co.in, onlinebatterydirectory.com

बैटरी डायरेक्टरी एंड ईयर बुक (वर्ष 41 अंक 9)

1-15 मई 2026 (प्रकाशित 12.05.2026)



CORK POWDER

For Mold Coating

- It has a finer Texture & prepared for the higher casting speeds & temperatures.
- It is designed to make battery plate Grid casting application easier.

CONTACT US

Call: + 91 9312285580



www.metacor.in

धन आता है चला जाता है, नैतिकता आती है बढ़ती जाती है। -भगवान श्री सत्य साई बाबा



बैटरी डायरेक्टरी एंड ईयर बुक

510, जनता फ्लैट्स, जी.टी.बी. एन्कलेव,
दिल्ली-110093, मो. 9810268067
Email : battdir@gmail.com
Website : www.batterydirectory.co.in &
www.onlinebatterydirectory.com

संपादक: चंद्रमोहन - 9810268067
सह-संपादक: शेखर वर्मा - 9910699538
उप-संपादक: एकता वर्मा - 9971150802
विज्ञापन: अनुराधा - 9971150801
संपादकीय सलाहकार:
डॉ. आर.सी. शर्मा, अरविंद मोहन

वर्ष: 41 अंक: 09, 1-15 मई 26 (प्रकाशित 12 मई 26), अंक का मूल्य ₹ 5/-, पृष्ठ: 56, (वार्षिक शुल्क ₹ 650/-)

Registered with Registrar of Newspapers for India Regd. No. RN 43092/85

फैडरेशन समाचार

FISSBA ने EPR मूल्य नियंत्रण तंत्र के खिलाफ

दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया -आदित्य महावर..... 12

मुख्य विवाद..... 12

छोटे व्यवसाय चिंतित..... 12

उद्योग और उपभोक्ताओं पर प्रभाव..... 13

FISSBA की अदालत से मांग..... 13

फैडरेशन ने दिल्ली हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर की..... 19

एसोसिएशन समाचार

राजस्थान स्टोरेज बैटरी ट्रेड एसोसिएशन का 27वाँ स्थापना दिवस समारोह सम्पन्न 15



श्री रमेश प्रजापत, श्री पूनमचंद कच्छवाह, श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल, श्री सतीश चन्द हेड़ा, श्री सतीश शर्मा,
श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा, श्री दिनेश कुमार सैनी, श्री बाबूलाल यादव, जनाब रफिक मंसूरी दीप प्रज्वलित करते हुए

लेख

सब मुफ्त मिलेगा तो लोग काम क्यों करेंगे? -सुशील कुमार सिंघल	17
चाइना से आ रहा सैकण्ड हैंड माल	17

तकनीकी लेख

नेगेटिव सल्फेशन का वारंटी क्लेम पर असर – Cancrle Pvt. Ltd.	32
1. नेगेटिव सल्फेशन क्या है और यह क्यों महत्वपूर्ण है	32
2. NAM पोरोसिटी की भूमिका	32
3. NAM स्ट्रेथ की भूमिका	33
रिसाइक्लिंग क्या है? - ग्रेविटा इंडिया लि.	37

समाचार

प्रधानमंत्री मोदी की अपील	14
क्या न करें (Don'ts):	14
क्या करें (Do's):	14
ग्रेविटा ने कॉपर सेक्टर में क्षमता बढ़ाने हेतु अधिग्रहण किया	30
उत्तर प्रदेश में लिथियम-आयन बैटरी और रेयर अर्थ रीसाइक्लिंग की नई सुविधा शुरू	31
ग्रेटर नोएडा में चलती इलेक्ट्रिक कार में लगी आग	35
UK में हर पाँच घंटे में एक लिथियम-आयन बैटरी में आग लगने की घटना	36
बैटरी डायरेक्टरी-2026 में प्रोडक्ट्स मैनुफैक्चरर्स इंडेक्स	44

साई शरणागति

चरित्र ही शिक्षा का लक्ष्य है - भगवान श्री सत्य साई बाबा	50
--	----

Advertiser's Index

Goldstar Power Limited	3
Harsha Industries Corporation	54 & 55
Intex Separator	56
Jiangsu Derongfu Rubber & Plastic Technology Co., Ltd.	6
MAC Engineering & Equipment Co., Inc.	4
Manish Enterprises	9
Microtex Energy (P) Limited	1
Swarajya Industries	2

सदस्यता अथवा विज्ञापन शुल्क **BATTERY DIRECTORY AND YEAR BOOK** के खाते में निम्नलिखित बैंक में नकद अथवा चैक द्वारा अपने शहर में ही जमा कराकर रसीद प्राप्त करने के लिए हमें फोन कर सकते हैं।

CURRENT BANK ACCOUNT of BATTERY DIRECTORY AND YEAR BOOK				
BANK NAME	A/c	ACCOUNT NO	IFSC CODE	BRANCH ADDRESS
UNION BANK OF INDIA	OD	565101000013133	UBIN0920711	GTB Enclave, NVM, Delhi-110 093
PhonePe, Google Pay Account	CHANDRA MOHAN - Mobile No. 9810268067			

FISSBA ने EPR मूल्य नियंत्रण तंत्र के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया

MSMEs के लिए राहत की मांग की



-आदित्य महावर-

EPR परामर्शदाता, मो. 9999975549

फै डरेशन ऑफ इंडियन स्मॉल स्केल बैटरी एसोसिएशंस (FISSBA) ने अप्रैल 2026 में दिल्ली हाई कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की है। इस याचिका में, पूरे भारत के हजारों सूक्ष्म और लघु बैटरी व्यवसायों के हितों की रक्षा के लिए, बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2022 और ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2022 में हाल ही में किए गए संशोधनों को चुनौती दी गई है। इस याचिका के माध्यम से, FISSBA ने एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी (EPR) प्रमाणपत्रों के लिए मूल्य नियंत्रण तंत्र लागू किए जाने पर गंभीर चिंताएँ व्यक्त की हैं।

मुख्य विवाद

वर्ष 2022 में, पर्यावरण, वन और जलवायु नियंत्रण मंत्रालय (MoEFCC) ने EPR फ्रेमवर्क के जरिए रीसाइक्लिंग को मजबूत बनाने के लिए बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम और ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम लागू किए। इन नियमों के तहत, उत्पादकों को यह सुनिश्चित करना होता है कि बैटरी और इलेक्ट्रॉनिक कचरे की एक निश्चित

मात्रा को इकट्ठा करके रीसाइकिल किया जाए। इन रीसाइक्लिंग लक्ष्यों को पूरा करने के लिए, उत्पादकों को अधिकृत रीसाइकिल करने वालों से EPR प्रमाणपत्र हासिल करने होते हैं; वे इन प्रमाणपत्रों को रीसाइकिल करने वालों से खरीदकर ऐसा कर सकते हैं, और इन प्रमाणपत्रों की कीमत बाजार-आधारित व्यवस्था द्वारा तय की जाती है। FISSBA के सदस्यों ने इन नियमों का स्वागत किया और उनका पूरी तरह से पालन किया।

हालाँकि, 2024 में, MoEFCC ने बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियमों और ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियमों में संशोधन किया, जिससे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) को EPR प्रमाणपत्रों के लिए न्यूनतम और अधिकतम कीमतें तय करने का अधिकार मिल गया। ये कीमतें 'पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति' (EC) से जोड़ी गईं, जो इन नियमों का पालन न करने पर लगाया जाने वाला एक जुर्माना है। यहीं से विवाद शुरू हुआ, क्योंकि नियमों का पालन न करने वाले उत्पादकों को दंडित करने के लिए बनाया गया जुर्माना अब नियमों का पालन करने वाले उत्पादकों के लिए कीमतें तय करने में इस्तेमाल किया जा रहा था।

छोटे व्यवसाय चिंतित

FISSBA ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि संशोधित EPR ढाँचे ने छोटे पैमाने के उद्योगों के लिए चुनौतियाँ खड़ी कर दी हैं:

गलत धारणाएँ: CPCB ने लैड (सीसा) के लिए EC (पर्यावरण शुल्क) ₹18/kg तय किया है, जिसमें ₹3/kg संग्रह और परिवहन

लागत के रूप में और ₹15/kg प्रोसेसिंग लागत के रूप में शामिल है। FISSBA का कहना है कि यह प्रोसेसिंग लागत पहले से ही रीसायकल किए गए लैड के बाजार मूल्य में शामिल होती है, जिसका भुगतान उत्पादक रीसायकल करने वालों को करते हैं। इसलिए, उत्पादकों से उसी लागत के लिए दो बार भुगतान करने को कहा जा रहा है। इसके अलावा, स्वतंत्र अध्ययनों के आँकड़े दिखाते हैं कि लैड की प्रोसेसिंग लागत ₹5 - ₹7/kg के बीच होती है, जो CPCB द्वारा मानी गई ₹15/kg की लागत से कहीं कम है। इसी तरह, CPCB ने यह मान लिया है कि होम UPS और इन्वर्टर में 11% तॉबा होता है, जबकि प्रयोगशाला परीक्षणों से पता चलता है कि वास्तविक मात्रा केवल 1.5% से 4.5% ही होती है; इसलिए, EC के दिशा-निर्देश ऐसे तथ्यों पर आधारित हैं जो स्पष्ट रूप से काफ़ी हद तक गलत हैं।

MSMEs पर असंतुलित प्रभाव: बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के तहत, SMEs के लिए एक अलग अनुपालन श्रेणी का न होना एक भेदभावपूर्ण रवैया है; विशेष रूप से तब, जब प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमों जैसे समान नियमों में इस तरह के अंतर का स्पष्ट प्रावधान किया गया है। SMEs पर अत्यधिक वित्तीय दबाव, परिचालन संबंधी कठिनाइयाँ और साथ ही, कीमतों में लचीलेपन की कमी तथा प्रक्रियागत बाधाओं के कारण नियमों का पालन न कर पाने का जोखिम बना रहता है।

पिछली तारीख से लागू होना: नए नियम वर्ष 2017-18 से "पिछली तारीख से" लागू किए जा रहे हैं। इसका मतलब है कि व्यवसायों पर उन बातों के लिए जुर्माना लगाया जा सकता है, जो इन नियमों के अस्तित्व में आने से भी कई साल पहले हुई थीं।

पंजीकरण में देरी: कानून के अनुसार, CPCB को दो हफ्तों के भीतर EPR पंजीकरण पूरा करना होता है। हालाँकि, कई छोटी इकाइयों के आवेदन महीनों तक अटके रहते हैं, जिससे उनके लिए कानून का पालन करना असंभव हो जाता है।

खराब बैटरियों और री-मैल्टेड लैड (RML) को नज़रअंदाज़ करना: प्रोडक्शन के दौरान निर्माता से हमेशा कुछ खराब या रिजेक्टेड बैटरियां बन जाती हैं, जिन्हें रीसाइक्लिंग के लिए भेजा जाता है। लेकिन मौजूदा नियम इनके लिए EPR क्रेडिट नहीं देते हैं, भले ही ये असली कचरा हों। इससे बड़े निर्माता की तुलना में छोटे निर्माता को ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि बड़े निर्माता का रिजेक्शन रेट कम होता है। इसके अलावा, छोटे रीसाइक्लर री-मैल्टेड लैड (RML) पर बहुत ज़्यादा निर्भर रहते हैं, लेकिन मौजूदा नियम उन्हें इस मटीरियल की रीसाइक्लिंग के लिए क्रेडिट नहीं देते हैं।

उद्योग और उपभोक्ताओं पर प्रभाव

FISSBA ने इस बात पर जोर दिया है कि अगर ये नियम नहीं बदले जाते, तो SME बैटरी निर्माताओं को "अस्तित्व के संकट" का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि वे बहुत कम मुनाफ़े पर काम करते हैं।

अनुपालन की ज़्यादा लागत के कारण आम भारतीय उपभोक्ताओं के लिए बैटरी, UPS और इन्वर्टर जैसी रोज़मर्रा की चीज़ों की कीमतें बढ़ने की संभावना है।

FISSBA की अदालत से मांग

FISSBA ने माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय



प्रधानमंत्री मोदी की अपील

वैश्विक संकट के कारण एक वर्ष तक-



क्या न करें (Don'ts):

- * सोने के आभूषण खरीदने से बचें
(सोना आयात देश के डॉलर विनिमय का 9% उपयोग करता है)।
- * डीजल और पेट्रोल का कम उपयोग करें।
- * विदेशी यात्राओं से बचें
(डॉलर विनिमय पर पड़ने वाले प्रभाव के कारण)।

- * उर्वरकों का अपव्यय न करें।
- * खाना पकाने में तेल का कम उपयोग करें।

क्या करें (Do's):

- * वर्क फ्रॉम होम (घर से काम) करें।
- * ऑनलाइन मीटिंग आयोजित करें।
- * यात्रा करते समय कारपूलिंग, मेट्रो या ई-वाहनों का उपयोग करें।



→ से अनुरोध किया है कि:

- ◆ EPR सर्टिफिकेट की क्रीमत पर नियंत्रण रखने वाले प्रावधानों को रद्द करें।
- ◆ EPR की क्रीमत को पर्यावरण मुआवजे से जोड़ने को गैर-कानूनी घोषित करें।
- ◆ पर्यावरण मुआवजे के दिशा-निर्देशों को असल, वेरिफाई किए गए डेटा के आधार पर संशोधित करें।
- ◆ ऑफ-स्पेक बैटरियों और दोबारा पिघलाए गए लैड को EPR क्रेडिट के लिए वैध स्रोत के तौर पर मान्यता दें।
- ◆ नियमों को भविष्य से लागू करना सुनिश्चित करें (न कि पिछली तारीख से)।
- ◆ MSME के लिए विशेष छूट और अनुपालन तंत्र शुरू करें।
- ◆ रजिस्ट्रेशन और अनुपालन प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और कार्यकुशलता बढ़ाएँ।

◆ तेज़ रजिस्ट्रेशन: CPCB को रजिस्ट्रेशन के लिए दो हफ्ते की समय-सीमा का सख्ती से पालन करने का निर्देश दें।

इस मामले को दिल्ली हाई कोर्ट में ले जाकर, FISSBA का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पर्यावरण संरक्षण और भारत के महत्वपूर्ण लघु-स्तरीय बैटरी क्षेत्र का अस्तित्व, दोनों साथ-साथ चलें।

यह रिट याचिका फैंडरेशन की ओर से श्री दिनेश पाराशर एडवोकेट और श्री सरवेंद्र एम. त्रिपाठी एडवोकेट द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट में 15 अप्रैल को दायर की गई। नोटिस जारी हो चुके हैं। 3 जुलाई 2026 को सुनवाई होगी। मूल रिट याचिका बैटरी डायरेक्टरी के अंग्रेजी संस्करण में प्रकाशित की जा रही है।





श्री रमेश प्रजापत, श्री पूनमचंद कच्छवाह, श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल, श्री सतीश चन्द हेड़ा, श्री सतीश शर्मा, श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा, श्री दिनेश कुमार सैनी, श्री बाबूलाल यादव, जनाब रफिक मंसूरी दीप प्रज्वलित करते हुए

राजस्थान स्टोरेज बैटरी ट्रेड एसोसिएशन का 27वाँ स्थापना दिवस समारोह सम्पन्न

राजस्थान स्टोरेज बैटरी ट्रेड एसोसिएशन ने 08 मई को अपना 27वाँ स्थापना दिवस समारोह बनीपार्क धर्मार्थ संस्थान, बनीपार्क, जयपुर में मनाया। इस अवसर पर एसोसिएशन ने थैलिसिमिया चिल्ड्रन सोसायटी के सहयोग से स्वैच्छिक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया।

समारोह में संस्थापक सदस्य श्री सत्यप्रकाश अग्रवाल, श्री सतीश चन्द हेड़ा, मुख्य सलाहकार श्री पूनमचन्द कच्छवाह, श्री कानाराम वीर गुर्जर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री रफीक मन्सूरी, उपाध्यक्ष श्री बाबूलाल यादव (मामा), संयुक्त सचिव श्री राकेश कुमार मालानी, कोषाध्यक्ष श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा, अध्यक्ष आयोजन समिति श्री रमेश कुमार प्रजापत एवं कार्यकारिणी सदस्य श्री प्रहलाद राय शर्मा, श्री भागीरथ सिंह, श्री रवि कुमार

जालान, श्री उमराव सिंह, श्री दिनेश कुमार सैनी, श्री मनीष गौर, श्री दुर्गा लाल कुमावत, श्री देवी लाल समोता उपस्थित रहे।

एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री सतीश शर्मा ने रक्तदान करने वाले रक्तदाताओं का मनोबल बढ़ाया और समारोह में उपस्थितजनों को रक्तदान करने के लिए प्रेरित किया।

स्थापना दिवस समारोह एवं विशाल रक्तदान शिविर में राजस्थान के प्रत्येक जिले व तहसील से आए व्यापारियों का एसोसिएशन के महासचिव श्री लोकेश टिक्कीवाल ने स्वागत किया। भरतपुर नगर से श्री यादराम पटवा, धौलपुर से श्री अमित ओबेराय, झुंझुनू से श्री मनीष सैनी, चिड़ावा से श्री मूलचंद सैनी सहित सैकड़ों व्यावसायी गण उपस्थित रहे। डीडवाना कुचामन से श्री प्रहलाद स्वामी और उनके पुत्र श्री अर्जुन राकावत दोनों ने रक्तदान किया।

राजस्थान स्टोरेज बैटरी ट्रेड एसोसिएशन का 27वाँ स्थापना...



श्री लोकेश टिक्कीवाल, श्री सौरभ रावत, श्री सतीश शर्मा, श्री पूनमचन्द कच्छवाह, श्री यादराम पटवा व श्री अमित ओबेराय



रक्तदान शिविर का प्रारंभ।



श्री सुरेन्द्र शर्मा (कोषाध्यक्ष) रक्तदान करते हुए।



श्री कानाराम गुर्जर रक्तदान करते हुए।



श्री नीरज शर्मा रक्तदान करते हुए।

अध्यक्ष श्री सतीश शर्मा ने श्री यादराम पटवा को भरतपुर संभाग का संयोजक और श्री प्रहलाद स्वामी को डीडवाना-कुचामन जिले का संयोजक बनाया। संस्था के संस्थापक सदस्य

श्री सतीश हेड़ा एवं श्री सत्यप्रकाश अग्रवाल द्वारा 27 वर्षों के कार्यकाल पर प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम का सफल संचालन श्री पूनम चंद कच्छवाह द्वारा किया गया। □

सब मुफ्त मिलेगा तो लोग काम क्यों करेंगे?



-सुशील कुमार सिंघल-

सिंघला टैक्नोप्लास्ट एलएलपी, दिल्ली

ल ड एसिड बैटरी के विकास के लिए सरकार को अनुसंधान केंद्र खोलने चाहिए ताकि लोग विदेश से बैटरी न मंगाए और अपने देश में ही बनी बैटरी आयातित बैटरी के मुकाबले की हो लेकिन इस तरफ सरकार का कुछ ध्यान नहीं है। मुकेश अम्बानी सोडियम बैटरी लेकर देश में आ रहे हैं। वह मार्केट में आयेगी तो उससे बहुत फर्क पड़ेगा। लैड एसिड बैटरी खत्म तो नहीं होगी लेकिन कम हो जाएगी।

आज के समय में बिजली और लेबर को मिलाकर 16 से 17 रूपए प्रति किलो तो खर्चा ही आ जाता है। 20 रूपए किलो में माल बिक रहा है, बताओ क्या बचा लेंगे? फिर कुछ उधारी में भी फंस जाता है। आज के समय में किसी को माल उधार दे दो तो वो पैसे देकर राजी नहीं है, यह बहुत बड़ी समस्या हो गई है। उनके चक्कर काटते रहो, ऊँचा बोलते हैं तो पैसे खत्म। बड़ी बड़ी फर्मों की नियत भी खराब हो चुकी है। उन्होंने फोन तक उठाना बंद कर दिया है।

मोदी जी की पूरी इच्छा है कि देश में मैनुफैक्चरिंग हो, मेक इन इंडिया का नाम ऊँचा हो। मेक इन इंडिया को कामयाब करने के लिए

सरकार ने कई आइटम में तो ज्यादा ड्यूटी लगा दी है जिससे कि माल आयात ही नहीं हो सकता, बहुत चीजें बैन कर दी गई हैं। यहाँ मैनुफैक्चरिंग के लिए लेबर बहुत बड़ी समस्या है। एक तो लेबर नहीं है और दूसरा सरकारी विभाग परेशान करता है। डिपार्टमेंट का भी कोई सपोर्ट नहीं है। जो भी एक नंबर में काम करता है उसको भी ये चोर समझते हैं। यहाँ का सिस्टम ठीक नहीं है। यहाँ की गवर्मेंट सपोर्ट नहीं करती।

टैक्स नहीं भरना चाहते!

कई देशों में सरकार बिजनेस को सपोर्ट करती हैं। वे समझते हैं कि बिजनेस ही देश की रीढ़ की हड्डी होती है। अपने देश में इन बातों को नहीं समझता है। बड़े आदमी समझते हैं लेकिन नीचे वाले लोग नहीं समझते हैं। कुछ हमारी पब्लिक भी सपोर्ट नहीं कर रही है। पब्लिक भी सोचती है क्यों टैक्स भरा जाए। वो भी टैक्स नहीं भरना चाहते।

चाइना से आ रहा सैकण्ड हैंड माल

चाइना से जो भी लिथियम का माल आ रहा है यह अधिकतर रीसाइक्लिंग का माल है। लिथियम की बैटरी 10 साल चलने का वायदा करती है लेकिन चाइना वाले 5 साल में ही वह बैटरी देश के बाहर एक्सपोर्ट कर देते हैं। इस एक्सपोर्ट के कारण चीन को कई फायदे हैं जैसे जब बैटरी पूरी चार्ज थी तब चाइना में उसका उपयोग किया गया और जब उसकी लाइफ 50% रह गई और बैटरी स्कैप होने के करीब पहुँच गई तो उसको एक्सपोर्ट करके चाइना ने बैटरी स्कैप

के निपटान से मुक्ति पाली और पैसा भी बना लिया। चाइना से आ रहे इन सैलों की कोई वारंटी नहीं है।

औद्योगिक तरक्की में हमारा देश चीन से बहुत पीछे

मैं चाइना होकर आया हूँ और पाया है कि हमारे देश में चाइना के मुकाबले एक प्रतिशत भी औद्योगिक तरक्की नहीं है। हमारा देश उनसे बहुत पीछे है। यदि आपको कोई उद्योग चाइना में लगाना है तो आप अपना प्रोजेक्ट सरकार के सामने रखें, यदि यह प्रोजेक्ट चयनित होता है तो उद्योग में 51% सरकार और 49% आपका हिस्सा रहेगा। इस हिस्से के बदले में सरकार आपको जगह भी उपलब्ध कराती है व कई अन्य सुविधाएँ भी उपलब्ध कराती है।

वहाँ इंडस्ट्रीज एरिया वाइज लगी हैं। एक विशेष एरिया में आपको एक ही प्रकार की 50 फैक्ट्रीयाँ मिल जाएँगी। उदाहरण के तौर पर यदि एक स्थान पर बोतल की कैप बन रही हैं तो वह केवल कैप ही बनाएगा। बोतल के और पार्ट्स कोई और बनाएगा। ये लोग बनाया हुआ माल एक दूसरे की फैक्ट्री में ही भेजते हैं। जिससे इनकी लागत में कमी आती है। सरकार इन उद्यमियों को सस्ते दाम पर माल एक्सपोर्ट करके डॉलर देश में लाने के लिए भी प्रोत्साहित करती है। इस कार्य में सरकार इन उद्यमियों को इंसेंटिव भी देती है। इन उद्यमियों को इंसेंटिव भी महीने के अंत तक आसानी से प्राप्त हो जाता है। अपने देश में तो किसी इंसेंटिव को प्राप्त करने में कभी-कभी एक साल का समय भी लग जाता है। कई बार तो इंसेंटिव मिलता ही नहीं।

चीन और भारत दोनों देश जनसंख्या में लगभग समान ही हैं। लेकिन उद्योग में चीन भारत से बहुत आगे है। इसका एक ही कारण है कि चीन की सरकार उद्यमियों को सपोर्ट कर रही है।

और एक्सपोर्ट पर जोर दे रही है। इस एक्सपोर्ट से चीन डॉलर एकत्र कर रहा है। अपने देश की करंसी इसलिए नीचे जा रही है क्योंकि हम एक्सपोर्ट बहुत कम करते हैं।

अपने देश में बैटरी उद्योग बड़े उद्यमियों के हाथ में जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी सरकार यूके और युएसए के आधार पर चल रही है। वहाँ जनसंख्या यहाँ के मुकाबले बहुत कम है। इसलिए वहाँ का सिस्टम यहाँ हमेशा फेल रहेगा क्योंकि अपने देश में जनसंख्या बहुत ज्यादा है। अपने देश को चाइना की पॉलिसी पर ध्यान देना चाहिए। हमको उद्योगों के विकास और एक्सपोर्ट बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए।

मोदी जी इस समय बड़े उद्यमियों को सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन छोटे उद्यमियों पर उनका ध्यान नहीं है। इसका रीजन शायद यह है कि बड़े उद्यमियों से सरकार को आसानी से टैक्स प्राप्त हो जाता है। यही वजह है कि देश में बड़े उद्यमों फल-फूल रहे हैं।

सब मुफ्त मिलेगा तो लोग फैक्ट्रीयों में काम करने क्यों जाएंगे

अभी कई राज्य सरकारों ने बिजली, राशन मुफ्त कर दिया है। अब एक बात बताएं जब सब चीजें मुफ्त मिलेंगी तो कोई काम क्यों करे। ऐसे में फैक्ट्रीयों में काम करने वालों की कमी बन जाना आम है। सत्ता में बने रहने के लिए राजनीतिक दल इस प्रकार योजनाएँ ला रहे हैं। लेकिन इससे देश का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। ये लोग पैसा कमाने के लिए जानबूझ कर बनी बनाई सड़कों को तोड़ते हैं व दुबारा बनाते हैं।

हमारे देश में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार फैला हुआ है उससे लगता है कि कोई दिव्य शक्ति की वजह से ही देश चल रहा है। □

फैडरेशन ने दिल्ली हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर की

नोटिस जारी, 3 जुलाई 2026 को सुनवाई

दायर याचिका के मुख्य अंश:

विषय-संक्षेप

देश में लैड-एसिड बैटरी के निर्माण, रीसाइक्लिंग और री-प्रोसेसिंग में संलग्न सूक्ष्म और लघु उद्यमों की प्रतिनिधि संस्था- फैडरेशन ऑफ़ स्मॉल-स्केल बैटरी एसोसिएशंस (FISSBA)—ने पर्यावरण संरक्षण उपायों का पूर्ण समर्थन किया जब पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने 24 अगस्त, 2022 को 'बैटरी वेस्ट प्रबंधन नियम, 2022' और 'ई-वेस्ट प्रबंधन नियम, 2022' अधिसूचित किए। इन नियमों ने 'विस्तारित उत्पादक दायित्व' (EPR) फ्रेमवर्क की शुरुआत की, जिसके तहत निर्माताओं को अधिकृत रीसाइक्लर्स द्वारा जारी किए गए 'ट्रेडेबल EPR प्रमाणपत्रों' के माध्यम से संग्रह और रीसाइक्लिंग के लक्ष्यों को सुनिश्चित करना होता है—जिसका उद्देश्य 'पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986' के तहत बैटरी और ई-वेस्ट का पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन सुनिश्चित करना है।

FISSBA के सदस्यों ने इन पर्यावरणीय उद्देश्यों का पूरी लगन से पालन किया। हालाँकि, 2024 में, नियामक परिदृश्य में तब भारी बदलाव आया जब केंद्र सरकार ने 'बैटरी वेस्ट प्रबंधन

(संशोधन) नियम, 2024' अधिसूचित किए— जिसमें नियम 10(17) को बदला गया और नियम 10(18) जोड़ा गया—साथ ही 'ई-वेस्ट नियमों' में भी समानांतर संशोधन करते हुए उप-नियम 15(9) और 15(10) जोड़े गए। इन बदलावों ने कथित तौर पर 'केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड' (CPCB) को EPR प्रमाणपत्रों के लिए न्यूनतम और अधिकतम कीमतें तय करने का अधिकार दे दिया; ये कीमतें 'पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति' (Environmental Compensation (EC)) से जोड़कर तय की गईं। 'पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति' (EC) मूल रूप से केवल EPR नियमों का पालन न करने वालों को रोकने के लिए एक दंडात्मक शुल्क के तौर पर बनाया गया था। CPCB ने तुरंत कुछ बाध्यकारी दिशा-निर्देश जारी किए, जिनमें लैड के लिए EC की दर ₹18/kg तय की गई (जिससे प्रसंस्करण लागत कृत्रिम रूप से बढ़ाकर ₹15/kg कर दी गई, जो उस समय की प्रचलित बाजार कीमतों से कहीं ज्यादा थी) और ताँबे (Copper) के लिए 11% की अनुमानित मात्रा के आधार पर ₹1,850/kg की लागत तय की गई। हालाँकि NABL-मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला की रिपोर्टों से ये आँकड़े तथ्यात्मक रूप से गलत साबित हुए, क्योंकि

रिपोर्टों में ताँबे की वास्तविक मात्रा 1.5-4.5% और प्रसंस्करण लागत (tolling) लगभग ₹7/kg बताई गई थी।

बिना किसी अनुभवजन्य डेटा, हितधारकों के परामर्श या विनियामक प्रभाव आकलन के, अनिवार्य मूल्य-नियंत्रण व्यवस्था का यह अचानक थोपा जाना FISSBA के छोटे स्तर के सदस्यों के लिए तत्काल संकट का कारण बन गया। 30 अक्टूबर, 2025 को, FISSBA ने प्रतिवादियों को विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत किए, जिसमें लैंड (सीसा) प्रसंस्करण लागतों की दोहरी वसूली (जो पहले से ही बाजार मूल्यों में शामिल है), ताँबे से संबंधित गलत धारणाओं, नियम 113 के तहत पंजीकरण में होने वाली बोझिल देरी (जो अनिवार्य 2-सप्ताह की समय-सीमा से अधिक थी), वैध 'प्री-कंज्यूमर ऑफ-स्पेक' बैटरियों और 'रीमैल्टेड लैंड' (RML)—जो छोटे पैमाने की रीसाइक्लिंग की रीढ़ हैं—के लिए EPR क्रेडिट से इनकार, और अवास्तविक 10% रिकवरी हानि मानदंडों को उजागर किया गया; जबकि तकनीकी बाधाओं के कारण SMEs को वास्तव में 20% से अधिक की हानि का सामना करना पड़ता है। प्रतिवादियों की चुप्पी से विचलित हुए बिना, FISSBA ने साक्ष्यों के साथ पुनः संपर्क किया, और MSME-विशिष्ट राहतों (वैसी ही जैसी प्लास्टिक वेस्ट नियमों में दी गई हैं) की मांग की; साथ ही EC-संबंधित लेन-देन में GST संबंधी अस्पष्टताओं को स्वीकार करने, और अनुपालन की असंभवता को टालने के लिए संशोधित मानदंडों को लागू करने का आग्रह किया।

प्रतिवादियों की पूर्ण निष्क्रियता ने शिकायत को कार्रवाई के कारण में बदल दिया, विशेष रूप से इसलिए क्योंकि विवादित संशोधनों को वित्त वर्ष 2018-19 से पूर्वव्यापी रूप से लागू किया गया था - 2024 की अधिसूचनाओं से पहले की

अवधियों के लिए दंड लगाया गया - और इससे नकदी की कमी से जूझ रहे लघु एवं मध्यम उद्यमों को अनौपचारिक, अपंजीकृत पुनर्चक्रणकर्ताओं की ओर निम्नतम कीमतों पर जाने के लिए अनुचित प्रोत्साहन मिला, जिससे ईपीए के पर्यावरणीय लक्ष्यों को सीधा नुकसान पहुंचा। बड़े उत्पादकों ने अपने सभी पोर्टफोलियो में लागत वहन की, लेकिन लघु एवं मध्यम उद्यमों को अस्तित्व संबंधी खतरों का सामना करना पड़ा: अपारदर्शी पोर्टल जो पंजीकृत माने जाने वाले आवेदनों को अवरुद्ध कर रहे थे, एकसमान मानदंड जो विभिन्न प्रकार के अपशिष्टों (परिपक्व लैंड-एसिड बनाम नवजात लिथियम-आयन पुनर्चक्रण) की अनदेखी कर रहे थे, और कृत्रिम मूल्य सीमाएं जो पुनर्चक्रण परिणामों को आगे बढ़ाए बिना रोजमर्रा की बैटरियों, यूपीएस और इनवर्टर के लिए अंतिम उपभोक्ता लागत को बढ़ा रही थीं।

FISSBA ने यह याचिका ईपीआर ढांचे या ईपीए के पर्यावरणीय जनादेश को चुनौती देने के लिए नहीं, बल्कि ईपीए की धारा 3, 6 और 25 से परे मनमानी कार्रवाई के रूप में अति-अधिकार क्षेत्र में मौजूद मूल्य नियंत्रणों को रद्द करने की मांग करते हुए दायर की है। ये नियंत्रण निजी वाणिज्य के लिए दंडात्मक EC का दुरुपयोग करते हैं, अनुच्छेद 14 की समानता (स्पष्ट मनमानी, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए कोई उचित वर्गीकरण नहीं) और अनुच्छेद 19(1) (जी) की व्यापार स्वतंत्रता (असंतुलित बोझ, कम प्रतिबंधात्मक विकल्प उपलब्ध) का उल्लंघन करते हैं। याचिकाकर्ता अमान्यता की घोषणा, भावी प्रवर्तन, एमएसएमई-अनुकूलित सुधार, जबरदस्ती पर रोक और समयबद्ध पंजीकरण और डेटा-आधारित ईसी संशोधन के लिए सीपीसीबी के निर्देशों की प्रार्थना करता है।

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 ('EPA')

एक व्यापक कल्याणकारी कानून है, जिसे संसद ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत पारित किया है। इसे सातवीं अनुसूची की सूची I की प्रविष्टियों 13 और 14, तथा सूची III की प्रविष्टियों 17A और 17B के साथ मिलाकर पढ़ा जाता है। इस अधिनियम का उद्देश्य मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन, 1972 और उसके बाद के अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेजों से उत्पन्न भारत के अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को प्रभावी बनाना है। Environment (Protection) Act, 1986 (EPA) की वैधानिक योजना, विशेष रूप से इसकी धाराएँ 3, 6 और 25, केंद्र सरकार को नियम बनाने की सीमित और निर्धारित शक्तियाँ प्रदान करती हैं। इन शक्तियों के तहत सरकार उत्सर्जन और बहिःस्राव के लिए मानक निर्धारित कर सकती है, खतरनाक पदार्थों के प्रबंधन को विनियमित कर सकती है, और पर्यावरणीय प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण तथा उपशमन के लिए प्रक्रियाएँ निर्धारित कर सकती है। EPA, न तो स्पष्ट रूप से और न ही आवश्यक निहितार्थ द्वारा, निजी पक्षों के बीच उनके व्यापार या व्यवसाय के दौरान वाणिज्यिक कीमतों को विनियमित करने या निर्धारित करने की कोई क्षमता प्रदान करता है।

बैटरी वेस्ट प्रबंधन नियम, 2022 (‘BWM नियम’) और ई-वेस्ट (प्रबंधन) नियम, 2022)

बैटरी वेस्ट प्रबंधन नियम, 2022 ('BWM नियम') और ई-वेस्ट (प्रबंधन) नियम, 2022 ('ई-वेस्ट नियम') को केंद्र सरकार द्वारा GSR अधिसूचना GSR 647 (E) और G.S.R.

801(E) के माध्यम से अधिसूचित किया गया था। यह अधिसूचना EPA की धारा 6(2)(h) और धारा 25 के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की गई थी, जिसका सराहनीय उद्देश्य वेस्ट बैटरियों और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के संग्रह, पृथक्करण, पुनर्चक्रण और पर्यावरण के अनुकूल प्रबंधन के लिए एक व्यवस्थित ढांचा स्थापित करना था। नियमों के इन दोनों सेटों ने 'विस्तारित उत्पादक दायित्व' (EPR) ढांचे को एक बाजार-आधारित अनुपालन तंत्र के रूप में प्रस्तुत किया है। इसके तहत उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड मालिकों के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि वे अधिकृत रिसाईकलर्स/तोड़ने वालों द्वारा जारी किए गए 'ट्रेडेबल EPR प्रमाणपत्रों' की प्रणाली के माध्यम से संग्रह और पुनर्चक्रण के लिए निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करें।

यह आयातकों के लिए भी बहुत उलझन वाला विषय बन गया है। एक ओर तो सरकार बोलती है कि रिसाईक्लिंग इसलिए हो ताकि प्राकृतिक संसाधनों को बचाया जाए और विशेष मिनरल हमारे देश में ही रहे जबकि निर्यातकों को यह कहा गया है कि यदि आप EPR प्रमाणपत्र नहीं ले पाते हैं तो उनको इतने प्रदिशत का निर्यात करना पड़ेगा। जो कि देश और पर्यावरण दोनों के लिए ही ठीक नहीं है।

यदि छोटे स्तर के उत्पादक अपना EPR टारगेट पूरा नहीं कर पाते हैं तो इस बात की आशंका रहेगी कि रिसाईकलर्स उनको अधिकतम रेट पर EPR प्रमाणपत्र दें व ब्लेकमार्केटिंग होने की भी संभावना है।

CPCB को EPR प्रमाणपत्रों के लिए कीमतें निर्धारित करने का अधिकार

केंद्र सरकार द्वारा GSR अधिसूचना

G.S.R. 190(E) के माध्यम से अधिसूचित बैटरी वेस्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2024 के तहत, BWM नियमों के नियम 10(17) को प्रतिस्थापित किया गया और नियम 10(18) को नए सिरे से जोड़ा गया; इसका उद्देश्य CPCB को EPR प्रमाणपत्रों के लिए न्यूनतम और अधिकतम कीमतें निर्धारित करने का अधिकार देना है, जिसके लिए इन कीमतों को पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (EC) से जोड़ा जाएगा। इसी प्रकार, केंद्र सरकार द्वारा GSR अधिसूचना G.S.R. 164(E) के माध्यम से अधिसूचित ई-वेस्ट (प्रबंधन) संशोधन नियम, 2024 के तहत, ई-वेस्ट नियमों के नियम 15 में उप-नियम (9) और (10) जोड़े गए, जिससे ई-वेस्ट क्षेत्र में EPR प्रमाणपत्रों के लिए एक समान मूल्य-सीमा तंत्र (price-band mechanism) लागू करना संभव हो सका। संशोधनों के इन दोनों सेटों को वर्तमान याचिका में इस आधार पर चुनौती दी गई है कि ये EPA के अधिकार-क्षेत्र से बाहर (ultra vires) हैं और संविधान के अनुच्छेद 14 तथा 19(1)(g) का उल्लंघन करते हैं।

विभिन्न वेस्ट पदार्थों (सीसा और तांबा सहित) के लिए बाध्यकारी दिशा-निर्देश

इन संशोधनों के अनुसरण में, सीपीसीबी ने विभिन्न वेस्ट पदार्थों (सीसा और तांबा सहित) के लिए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति निर्धारित करने वाले बाध्यकारी दिशा-निर्देश जारी किए हैं और यह अनिवार्य किया है कि ईपीआर प्रमाणपत्र की कीमतें लागू ईपीआर के एक निश्चित प्रतिशत से कम या अधिक नहीं होनी चाहिए। इससे अधीनस्थ कानून के माध्यम से प्रभावी रूप से एक अनिवार्य मूल्य-नियंत्रण व्यवस्था लागू हो गई है, जिससे

पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति - जो ईपीआर लक्ष्यों के अनुपालन न करने पर दंड देने के लिए विशेष रूप से बनाई गई एक दंडात्मक और निवारक संरचना है - को अनुपालन करने वाले उत्पादकों और पुनर्चक्रणकर्ताओं के बीच सामान्य वाणिज्यिक लेनदेन के लिए एक मानदंड के रूप में पुनर्निर्भाषित किया गया है, जिससे पर्यावरणीय अनुपालन प्रवर्तन तंत्र को बिना किसी वैधानिक जनादेश के आर्थिक विनियमन के एक साधन में परिवर्तित कर दिया गया है। प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा पारित बैटरी वेस्ट प्रबंधन नियम, 2022 के तहत लागू करने के लिए दिशा-निर्देशों की प्रति और ई-वेस्ट प्रबंधन नियम, 2022 के तहत लागू करने के लिए दिशा-निर्देशों की प्रति अनुलग्नक पी-5 के रूप में संलग्न है। (कॉली)

विवादित मूल्य-नियंत्रण व्यवस्था अत्यधिक बोझ डालने वाली

याचिकाकर्ता और उसके सदस्यों ने BWM नियम, 2022 और E-Waste नियम, 2022 के मूल में निहित पर्यावरणीय उद्देश्यों का पूरी तरह से समर्थन किया है और उनका लगातार पालन किया है। याचिकाकर्ता EPR ढांचे की संवैधानिक वैधता को अपने आप में चुनौती नहीं देता है, न ही इसके माध्यम से प्राप्त किए जाने वाले पर्यावरणीय उद्देश्यों को। वर्तमान याचिका में चुनौती केवल 2024 के संशोधनों के माध्यम से शुरू की गई उस विवादित मूल्य-नियंत्रण व्यवस्था तक सीमित है, जो EPA के दायरे से पूरी तरह बाहर है और छोटे पैमाने के उत्पादकों पर अत्यधिक बोझ डालने वाली है।

EPR सर्टिफिकेट के लिए अनिवार्य न्यूनतम और अधिकतम कीमतें तय करना किसी भी सार्वजनिक अनुभवजन्य डेटा, स्वतंत्र लागत

अध्ययनों, पारदर्शी कार्यप्रणाली, या बेहतर पर्यावरणीय परिणामों के साथ किसी तार्किक संबंध पर आधारित नहीं है। यह विवादित व्यवस्था उत्पादकों और निर्माताओं की बार-बार होने वाली लागत पर रीसाइक्लर्स के आर्थिक हितों को कृत्रिम रूप से बढ़ावा देती है, मुक्त बाजार की गतिशीलता को बिगाड़ती है, और किसी भी वैध पर्यावरणीय उद्देश्य को पूरा किए बिना — जिसमें याचिकाकर्ता के सदस्य उद्यम भी शामिल हैं — नियमों का पालन करने वाली संस्थाओं पर अनुचित वित्तीय बोझ डालती है।

विवादित व्यवस्था अतार्किक

विवादित व्यवस्था की स्पष्ट अतार्किकता के दृष्टांत स्वरूप:

(a) लैड (Lead) के लिए EC ₹18/kg तय की गई है, जिसमें ₹15/kg 'प्रोसेसिंग लागत' का हिस्सा है - जो रीसायकल किए गए लैड की तय बाजार कीमत से ज्यादा है - और ₹3/kg हैंडलिंग, कलेक्शन और ट्रांसपोर्टेशन की लागत है। इसका नतीजा यह होता है कि प्रोसेसिंग लागत की दोहरी वसूली हो जाती है, जबकि यह लागत पहले से ही बाजार कीमतों में शामिल होती है; इन्हीं कीमतों पर एक रीसायकल करने वाला अपना कच्चा माल (निकाला/रीसायकल/प्रोसेस किया गया कचरा) उत्पादक को बेचता है। इससे रीसायकल करने वालों को अनुचित रूप से ज्यादा

फ़ायदा होता है और नियमों का पालन करने वाले उत्पादकों पर बिना किसी स्पष्ट पर्यावरणीय लाभ के, आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा बोझ पड़ता है।

उदाहरण के लिए: पहले के नियमों (BWM नियमों में संशोधन से पहले) में, कोई उत्पादक बैटरी का कचरा किसी रीसाइक्लर को बेचकर और उससे कच्चा माल तथा EPR सर्टिफिकेट वापस लेकर अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी कर लेता था; लेकिन 2024 में BWM नियमों में हुए संशोधन के बाद, नियम 10(17) और 10(18) के अनुसार, अब रीसाइक्लर द्वारा जारी किया गया EPR सर्टिफिकेट, प्रतिवादी संख्या 2 के पोर्टल पर सबसे ऊँची और सबसे कम कीमत (जैसे, लैड के लिए 5.40 रुपये/किलो से 18 रुपये/किलो तक) के बीच ट्रेड किया जाएगा। ये कीमतें प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा 'बैटरी कचरा प्रबंधन नियम 2022' के तहत पर्यावरणीय मुआवजा लगाने के लिए जारी किए गए दिशा-निर्देशों के माध्यम से निर्धारित की गई हैं।

(b) इसी तरह, होम UPS और इन्वर्टर डिवाइस से संबंधित कॉपर के लिए EC की गणना, 11% कॉपर की मात्रा और ₹1,850/kg प्रोसेसिंग लागत की मूल रूप से त्रुटिपूर्ण धारणा पर की गई है। हालाँकि, NABL-मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला की रिपोर्टें — जिन्हें FISSBA के अभ्यावेदनों के माध्यम से प्रतिवादियों के समक्ष प्रस्तुत किया गया है — निर्णायक रूप से यह

EPR सर्टिफिकेट के लिए अनिवार्य न्यूनतम और अधिकतम कीमतें तय करना किसी भी सार्वजनिक अनुभवजन्य डेटा, स्वतंत्र लागत अध्ययनों, पारदर्शी कार्यप्रणाली, या बेहतर पर्यावरणीय परिणामों के साथ किसी तार्किक संबंध पर आधारित नहीं है।

पते की बात



स्थापित करती हैं कि ऐसे उपकरणों में कॉपर की वास्तविक मात्रा केवल 1.5%–4.5% है, और PSU टोलिंग शुल्क लगभग ₹7/kg है। इसलिए, विवादित दिशानिर्देश एक ऐसे तथ्यात्मक आधार पर आधारित हैं जो स्पष्ट रूप से और काफी हद तक गलत है।

विवादित ढांचा अनुचित और

अस्पष्ट

यह विवादित ढांचा प्रक्रियागत अनुचितता और अस्पष्टता से भी ग्रस्त है, क्योंकि इसे लागू करने से पहले हितधारकों के साथ कोई सार्थक परामर्श, विनियामक प्रभाव मूल्यांकन, या अंतर्निहित डेटा या कार्यप्रणाली का कोई खुलासा नहीं किया गया था। याचिकाकर्ता ने यह तर्क दिया कि प्रोसेसिंग लागतों का दोहराव, तांबे की मात्रा से संबंधित त्रुटिपूर्ण धारणाएं, और EPR क्रेडिट उत्पन्न करने के लिए 'ऑफ-स्पेक' बैटरियों तथा 'री-मैलेटेड लैड' (RML) को वैध स्रोतों के रूप में मान्यता देने की अनिवार्य आवश्यकता पर विचार किया जाना चाहिए था। प्रतिवादियों द्वारा इन तथ्यों पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया गया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि उन्होंने इस मामले में अपने विवेक का प्रयोग नहीं किया है और यह 'प्राकृतिक न्याय' के सिद्धांत का उल्लंघन है।

पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू

ये संशोधन वित्तीय वर्ष 2017-18 से पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू किए जा रहे हैं, भले ही इन्हें अधिसूचित 2024 में किया गया था और ये लागू भी उसी वर्ष हुए थे। पूर्वव्यापी अनुपालन दायित्वों को थोपना — जिसमें विवादित नियमों की अधिसूचना से पहले की अवधियों के लिए वित्तीय देनदारियाँ और दंड शामिल हैं — स्थापित

संवैधानिक सिद्धांतों, पूर्वव्यापी रूप से बोज़ थोपने के विरुद्ध सिद्धांत, और अधीनस्थ विधान में निष्पक्षता तथा वैधानिकता की मूलभूत आवश्यकताओं के विपरीत है।

पंजीकरण की बोज़िल और

अस्पष्ट प्रक्रिया

यह विवादित व्यवस्था सूक्ष्म और लघु उद्यमों (MSMEs) पर असमान रूप से प्रभाव डालती है, जिनके पास बड़े निर्माताओं और आयातकों की तरह वित्तीय सुरक्षा, कानूनी संसाधन और प्रशासनिक ढांचा नहीं होता। बैटरी रीसाइक्लिंग और निर्माण क्षेत्र में MSMEs को कई कारणों से नियमों का पालन करने में व्यावहारिक रूप से असंभव स्थिति का सामना करना पड़ता है, जिनमें शामिल हैं:

(a) BWM नियम, 2022 के तहत पंजीकरण की बोज़िल और प्रक्रियात्मक रूप से अस्पष्ट प्रक्रियाएं;

(b) इसके साथ ही, 'मानित-पंजीकृत' (deemed-registered) उपयोगकर्ताओं के लिए ऑनलाइन पोर्टल का काम न करना, जिसके परिणामस्वरूप वैधानिक अनुपालन फाइलिंग तक पहुंच से वंचित होना पड़ता है;

(c) 'प्री-कंज्यूमर ऑफ-स्पेक बैटरियों' और 'रीमैलेटेड लैड' के लिए EPR क्रेडिट से इनकार करना, भले ही वे स्थापित औद्योगिक प्रथाओं में मान्यता प्राप्त वास्तविक और मात्रात्मक रूप से महत्वपूर्ण रीसाइक्लिंग स्रोत हों;

(d) 10% की अवास्तविक रिकवरी हानि (recovery loss) के मानदंड निर्धारित करना, जबकि छोटे रीसाइक्लर — कम पूंजी-गहन प्रक्रियाओं और अंतर्निहित तकनीकी सीमाओं के कारण — आमतौर पर 20% से अधिक की वास्तविक रिकवरी हानि का अनुभव करते हैं;

(e) EC-लिंकड EPR लेनदेन के लिए GST वर्गीकरण और इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) की उपलब्धता में अनसुलझी अस्पष्टता; और

(f) बड़े उत्पादकों की तुलना में प्रतिस्पर्धी नुकसान और ऐसे विकृत प्रोत्साहन जो MSMEs को अनौपचारिक, अपंजीकृत कबाड़ियों/व्यापारियों की ओर धकेलते हैं, जिससे EPA के मूल पर्यावरणीय उद्देश्यों को ही कमजोर किया जाता है।

उचित वर्गीकरण की कसौटी पर भी खरा नहीं

विवादित प्रावधान अनुच्छेद 14 के तहत 'उचित वर्गीकरण' की कसौटी पर भी खरे नहीं उतरते, क्योंकि वे मूल रूप से अलग-अलग तरह के कचरे के स्रोतों पर एक जैसी EC कार्यप्रणाली और मूल्य निर्धारण व्यवस्था लागू करते हैं। लैड-एसिड बैटरी रीसाइक्लिंग एक परिपक्व, व्यावसायिक रूप से आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से व्यवहार्य व्यवस्था है, जो भारत में दशकों से मौजूद है। इसके विपरीत, लिथियम-आयन बैटरी रीसाइक्लिंग अभी शुरुआती चरण में है, तकनीकी रूप से जटिल है और बाहरी सहयोग के बिना व्यावसायिक रूप से अव्यवहार्य है। उत्पादकों और रीसाइक्लर्स की स्वाभाविक रूप से अलग और असमान श्रेणियों पर एक जैसी अनुपालन कार्यप्रणाली लागू करना संवैधानिक रूप से अस्वीकार्य है; यह एक तरह का 'भेदभावपूर्ण व्यवहार' (hostile discrimination)

है और 'सुबोध विभेद' (intelligible differentia) तथा 'तर्कसंगत संबंध' (rational nexus) की दोहरी कसौटी पर खरा नहीं उतरता।

असंगत, मनमाना और संवैधानिक रूप से अस्थिर

विवादित संशोधनों और दिशा-निर्देशों का कुल प्रभाव यह है कि वे छोटे पैमाने के बैटरी उत्पादकों और रीसायकल करने वालों पर एक असंगत, मनमाना और संवैधानिक रूप से अस्थिर बोझ डालते हैं; EPR प्रमाणपत्रों के बाजार को बिगाड़ते हैं; अनौपचारिक और नियमों का पालन न करने वाली रीसाइक्लिंग को बढ़ावा देते हैं; और अंतिम उपभोक्ताओं पर ऐसे अनावश्यक और अनुचित लागत-बढ़ोतरी का बोझ डालते हैं — और यह सब बिना किसी स्पष्ट पर्यावरणीय उद्देश्य को पूरा किए किया जाता है। इसलिए, यह विवादित ढाँचा पूरी तरह से रद्द किए जाने योग्य है, और यह रिट याचिका यहाँ बताए गए राहतों को प्राप्त करने के लिए दायर की गई है।

FISSBA-विशिष्ट शिकायतें

अनिवार्य पंजीकरण प्रक्रिया

बहुत ज्यादा बोझिल

BWM नियम, 2022 के तहत अनिवार्य पंजीकरण प्रक्रिया बहुत ज्यादा बोझिल और प्रक्रियात्मक रूप से अस्पष्ट है, खासकर सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए; और वैधानिक

यह विवादित ढाँचा प्रक्रियागत अनुचितता और अस्पष्टता से भी ग्रस्त है, क्योंकि इसे लागू करने से पहले हितधारकों के साथ कोई सार्थक परामर्श, विनियामक प्रभाव मूल्यांकन, या अंतर्निहित डेटा या कार्यप्रणाली का कोई खुलासा नहीं किया गया था।

ऑनलाइन पोर्टल उन उपयोगकर्ताओं को, जिन्हें 'पंजीकृत माना गया है' (deemed-registered), रिटर्न दाखिल करने या नियमों के पालन का प्रमाण देने की अनुमति नहीं देता है। वैधानिक अनुपालन फाइलिंग तक पहुँच से इस तरह के प्रणालीगत इनकार से एक ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है जिसमें नियमों का पालन करना असंभव हो जाता है — SMEs पुनर्चीकृत सामग्री के न्यूनतम उपयोग को प्रदर्शित करने या नियमों के तहत अनिवार्य रिटर्न दाखिल करने में असमर्थ हो जाते हैं, जिससे नियमों का पालन करने के उनके नेक इरादे और वास्तविक प्रयासों के बावजूद, उन्हें दंडात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ता है। इस तरह का विनियामक ढाँचा संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत 'प्राकृतिक न्याय', 'प्रक्रियात्मक औचित्य' और 'प्रशासन में निष्पक्षता' के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है, और छोटे पैमाने के उन उत्पादकों पर भेदभावपूर्ण बोझ डालता है जिनके पास बड़े निगमों जैसा प्रशासनिक ढाँचा उपलब्ध नहीं होता है।

ईपीआर क्रेडिट से इनकार मनमाना और तर्कहीन

छोटे निर्माता उत्पादन बढ़ाने और गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण के दौरान नियमित रूप से उपभोक्ता-पूर्व दोषपूर्ण या गुणवत्ता-अस्वीकृत बैटरियाँ उत्पन्न करते हैं, जो वास्तव में वेस्ट बैटरियाँ होती हैं और इन्हें प्रसंस्करण के लिए अधिकृत पुनर्चक्रणकर्ताओं को भेजा जाता है। इस प्रकार की बैटरियों के लिए ईपीआर क्रेडिट से इनकार करना मनमाना और तर्कहीन है - यह लघु-स्तरीय विनिर्माण की अंतर्निहित विशेषताओं, यानी वैध उत्पादन वास्तविकताओं के लिए लघु-मध्यम उद्यमों को दंडित करता है, और किसी भी पर्यावरणीय उद्देश्य को आगे बढ़ाए बिना कृत्रिम अनुपालन की कमी पैदा करता है। यह

बहिष्कार उचित वर्गीकरण की कसौटी पर खरा नहीं उतरता और अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है, और लघु-स्तरीय उत्पादकों के खिलाफ शत्रुतापूर्ण भेदभाव के समान है, जिनकी अस्वीकृति दर बड़े निर्माताओं की तुलना में संरचनात्मक रूप से अधिक होती है।

RML भारत के सेकेंडरी लैंड रीसाइक्लिंग इकोसिस्टम की रीढ़

मौजूदा फ्रेमवर्क, री-मैलेड लैंड (RML) से प्रोसेस किए गए रिफाइंड लैंड को EPR क्रेडिट मान्यता से बाहर रखता है, इस तथ्य के बावजूद कि RML भारत के सेकेंडरी लैंड रीसाइक्लिंग इकोसिस्टम की रीढ़ है। छोटे सेकेंडरी स्मेल्टर, जो FISSBA की सदस्यता का मुख्य हिस्सा हैं, एक अच्छी तरह से स्थापित दो-चरण प्रक्रिया के माध्यम से काम करते हैं: पहले RML का उत्पादन करना और फिर उसे व्यावसायिक रूप से दोबारा इस्तेमाल किए जा सकने वाले लैंड में रिफाइन करना। इस व्यापक और पूरी तरह से वैध रीसाइक्लिंग तरीके के लिए EPR क्रेडिट से इनकार करना, वास्तविक और महत्वपूर्ण पर्यावरणीय अनुपालन को मान्यता न देने के बराबर है; यह नियमों के वैधानिक उद्देश्य को कमजोर करता है, और छोटे पैमाने के उद्यमों द्वारा अपनाए जाने वाले मुख्य रीसाइक्लिंग तरीके को मनमाने ढंग से बाहर करके अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है।

रिकवरी लॉस 10% नहीं 20%

विवादित ढाँचा 10% का एक समान रिकवरी लॉस (वसूली में नुकसान) मानक निर्धारित करता है, जबकि अनुभवजन्य वास्तविकता — जिसे उद्योग के डेटा और स्वतंत्र तकनीकी अध्ययनों का समर्थन प्राप्त है — यह है कि छोटे रीसाइक्लर्स को **आमतौर पर 20%**

से अधिक का रिकवरी लॉस होता है; ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनकी प्रक्रियाएं कम पूंजी-गहन होती हैं और छोटे पैमाने के संचालन में तकनीकी सीमाएं स्वाभाविक रूप से मौजूद होती हैं। 10% का मानक थोपना तथ्यात्मक रूप से गलत, तकनीकी रूप से अवास्तविक और संवैधानिक रूप से मनमाना है, क्योंकि यह SMEs को उन संरचनात्मक बाधाओं के लिए दंडित करता है जो पूरी तरह से उनके नियंत्रण से बाहर हैं। यह अनुच्छेद 14 के तहत 'प्रतिकूल भेदभाव' (hostile discrimination) के समान है, जिसमें छोटे रीसाइक्लर्स को बड़े, पूंजी-गहन संचालकों के बराबर माना जाता है, और इस प्रकार यह 'समझदारीपूर्ण अंतर' (intelligible differentia) और 'तर्कसंगत संबंध' (rational nexus) की संवैधानिक कसौटियों पर खरा नहीं उतरता।

EPR सर्टिफिकेट की कीमतें

EPR सर्टिफिकेट की कीमतों को पर्यावरणीय मुआवजे से जोड़कर — जो स्पष्ट रूप से एक नियामक शुल्क और दंडात्मक व्यवस्था है — यह विवादित ढाँचा EPR लेन-देन पर लागू GST वर्गीकरण और ITC की उपलब्धता में गहरी अस्पष्टता पैदा करता है। यदि न्यूनतम कीमतों पर ऐसे लेन-देन को बिना ITC पात्रता के कर योग्य आपूर्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, तो SMEs के लिए प्रभावी

अनुपालन लागत काल्पनिक न्यूनतम कीमत से काफी अधिक हो जाएगी, जिससे वैधानिक योजना से पूरी तरह बाहर एक छिपा हुआ वित्तीय बोझ उन पर पड़ जाएगा। नियामक स्पष्टता की यह कमी कराधान में निश्चितता और वित्तीय निष्पक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन करती है, छोटे पैमाने के उत्पादकों के लिए अनुपालन लागत को असमान रूप से बढ़ाती है, और संविधान के अनुच्छेद 14 तथा अनुच्छेद 19(1)(g) दोनों के विपरीत है।

एमएसएमई और बड़े उत्पादकों को एक श्रेणी में रखा

विवादित न्यूनतम मूल्य व्यवस्था लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को बड़े उत्पादकों और आयातकों की तुलना में गंभीर प्रतिस्पर्धात्मक नुकसान में डालती है, जो विविध उत्पाद श्रेणियों में अनुपालन लागत वहन कर सकते हैं और पुनर्चक्रणकर्ताओं के साथ बातचीत में बेहतर सौदेबाजी शक्ति का लाभ उठा सकते हैं। ऐसे सुरक्षा उपायों के अभाव में, एसएमई बढ़ी हुई न्यूनतम कीमतों का भुगतान करने के लिए विवश हैं, जिससे उनके पहले से ही कम लाभ मार्जिन में और गिरावट आती है, जो उनके उद्यमों की व्यावसायिक व्यवहार्यता के लिए खतरा है। इससे भी अधिक हानिकारक बात यह है कि यह व्यवस्था एसएमई को अनौपचारिक, अपंजीकृत पुनर्चक्रणकर्ताओं का सहारा लेने के लिए एक

छोटे सेकेंडरी स्मेल्टर दो-चरण प्रक्रिया के माध्यम से काम करते हैं: पहले RML का उत्पादन करना और फिर उसे व्यावसायिक रूप से दोबारा इस्तेमाल किए जा सकने वाले लैंड में रिफाइन करना। इस व्यापक और पूरी तरह से वैध रीसाइक्लिंग तरीके के लिए EPR क्रेडिट से इनकार कर दिया गया है; यह नियमों के वैधानिक उद्देश्य को कमजोर करता है।

मजबूत प्रोत्साहन प्रदान करती है, जो पोर्टल से बाहर न्यूनतम कीमतों से कम पर लेनदेन की पेशकश करते हैं, जिससे अनौपचारिक पुनर्क्रमण को सक्रिय रूप से बढ़ावा मिलता है और ईपीए के पर्यावरणीय उद्देश्यों को सीधे तौर पर विफल किया जाता है। यह विकृत प्रोत्साहन संरचना तर्कहीन, प्रतिकूल और धारा 29 एमएसएमई एक्ट एवं संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है क्योंकि इसका प्राप्त किए जाने वाले पर्यावरणीय उद्देश्य से कोई तार्किक संबंध नहीं है।

MSMEs को कोई राहत नहीं

जिस व्यवस्था पर सवाल उठाया गया है, वह सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) की सुरक्षा करने वाले विधायी और नीतिगत ढांचे की पूरी तरह से अनदेखी करती है। इन उद्यमों को 'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006' और संबंधित योजनाओं के तहत विशेष नियामक व्यवहार और राहत की आवश्यकता वाले उद्यमों के रूप में मान्यता दी गई है। MSMEs की संरचनात्मक बाधाओं के लिए कोई रियायत दिए बिना, एक समान न्यूनतम मूल्य (floor pricing) और अनुपालन दायित्व थोपकर, प्रतिवादियों ने 'उचित समायोजन' के सिद्धांत का उल्लंघन किया है; असमानों के साथ समान व्यवहार करके अनुच्छेद 14 का उल्लंघन किया है; और भारत में MSME सुरक्षा के वैधानिक तथा नीतिगत उद्देश्यों को कमजोर किया है। MSMEs के लिए अनुपालन की एक अलग श्रेणी का पूरी तरह से अभाव — विशेष रूप से तब, जब 'प्लास्टिक वेस्ट प्रबंधन नियमों' के तहत समान व्यवस्थाओं में इस तरह के अंतर का स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है — संवैधानिक रूप से अस्वीकार्य और भेदभावपूर्ण व्यवहार के समान है।

कीमतों में कृत्रिम रूप से बढ़ोतरी

EPR प्रमाणपत्रों की कीमतों में कृत्रिम रूप से की गई बढ़ोतरी का सीधा और अनिवार्य परिणाम उत्पादकों के लिए अनुपालन लागत में वृद्धि के रूप में सामने आता है; और इस बढ़ी हुई लागत का बोझ अंततः दैनिक उपयोग की वस्तुओं—जैसे बैटरी, UPS सिस्टम और इन्वर्टर उपकरणों—की बढ़ी हुई कीमतों के रूप में अंतिम उपभोक्ताओं पर डाल दिया जाता है। यह स्थिति आवश्यक उपभोक्ता उत्पादों पर बिना किसी प्रतिपूरक पर्यावरणीय लाभ के ही अनावश्यक रूप से मुद्रास्फीति का दबाव उत्पन्न करती है, 'लोकहित' और 'आनुपातिकता' की कसौटी पर खरी नहीं उतरती, और इस प्रकार, यह विवादित ढांचा संवैधानिक रूप से अस्थिर सिद्ध होता है।

समय-सीमा की अनदेखी

BWM नियम, 2022 का नियम 11(3) स्पष्ट और असंदिग्ध रूप से यह अनिवार्य करता है कि CPCB को पंजीकरण प्रक्रिया दो सप्ताह के भीतर पूरी करनी होगी; ऐसा न करने पर, पंजीकरण को स्वीकृत मान लिया जाएगा। इस स्पष्ट वैधानिक निर्देश के बावजूद, CPCB नियमित और व्यवस्थित रूप से इस समय-सीमा की अनदेखी करता है: आवेदन कई महीनों तक 'प्रक्रियाधीन' (Under Process) ही बने रहते हैं; प्रश्न टुकड़ों में और देरी से उठाए जाते हैं; और रजिस्ट्री के साथ संचार के माध्यम आवेदकों के प्रति अनुत्तरदायी बने रहते हैं। किसी अनिवार्य वैधानिक प्रावधान का यह व्यवस्थित और लगातार उल्लंघन SME आवेदकों को अनुपालन की निरंतर असंभवता की स्थिति में डाल देता है, जिससे उन्हें ऐसे चूक के लिए दंडात्मक कार्रवाई

का सामना करना पड़ता है, जो पूरी तरह से प्रतिवादी की अपनी प्रशासनिक लापरवाही के कारण हुई हैं; इस प्रकार, यह अनुच्छेद 14 और 'वैध अपेक्षा के सिद्धांत' (doctrine of legitimate expectation) का उल्लंघन करता है।

उचित वर्गीकरण के सिद्धांत की अवहेलना

प्लास्टिक वेस्ट प्रबंधन नियमों और ई-वेस्ट नियमों के विपरीत—जो टर्नओवर, उत्पादन मात्रा या अन्य वस्तुनिष्ठ मानदंडों के आधार पर सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए स्पष्ट रूप से छूट या लक्षित रियायतें प्रदान करते हैं—BWM नियम, 2022 सभी उत्पादकों पर, उनके पैमाने (scale) की परवाह किए बिना, एक समान और बिना किसी भेदभाव के अनुपालन दायित्व लागू करते हैं। SMEs के लिए उचित समायोजन को शामिल करने में यह विफलता—जबकि ऐसे समायोजन को समान विनियामक ढांचों में संवैधानिक रूप से अनिवार्य माना गया है—अनुच्छेद 14 के तहत उचित वर्गीकरण के सिद्धांत की अवहेलना करती है, सूक्ष्म और लघु उत्पादकों पर असंगत बोझ डालती है, और उन्हें औपचारिक रीसाइक्लिंग क्षेत्र से बाहर निकालकर अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में धकेलने का जोखिम पैदा करती है; जिससे एक ऐसा परिणाम सामने आता है जो

वैधानिक उद्देश्य के बिल्कुल विपरीत है।

पर्यावरण मुआवजा दिशा-निर्देश मनमाने

पर्यावरण मुआवजा दिशानिर्देश मनमाने ढंग से सीसे (Lead) की प्रोसेसिंग लागत ₹15/kg तय करते हैं, बिना किसी अनुभवजन्य आधार, स्वतंत्र लागत सर्वेक्षण, कार्यप्रणाली या हितधारक परामर्श का खुलासा किए। विश्वसनीय उद्योग डेटा और स्वतंत्र तकनीकी आकलन — जिसमें प्रतिवादियों के समक्ष प्रस्तुत अध्ययन भी शामिल हैं — यह स्थापित करते हैं कि वास्तविक प्रोसेसिंग लागत ₹5-₹7/kg के बीच होती है, जो उपयोग की गई तकनीक और संचालन के पैमाने पर निर्भर करती है। एक समान ₹15/kg की दर तय करना न केवल साक्ष्यों द्वारा समर्थित नहीं है, बल्कि उपलब्ध डेटा के सीधे विपरीत भी है; यह अनुच्छेद 14 के उल्लंघन में स्पष्ट मनमानी, रीसाइक्लर्स का अनुचित संवर्धन, और द्वितीयक सीसे के लिए प्रचलित बाजार कीमतों में पहले से ही शामिल लागतों की दोहरी वसूली के समान है।

न्यूनतम उपयोग की बाध्यता

नियम 4(14) सभी उत्पादकों (जिनमें वे आयातक भी शामिल हैं जो BWM नियम 2022 के अनुसार 'उत्पादक' की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं) को यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य

MSMEs की संरचनात्मक बाधाओं के लिए कोई रियायत दिए बिना, एक समान न्यूनतम मूल्य (floor pricing) और अनुपालन दायित्व थोपकर, प्रतिवादियों ने 'उचित समायोजन' के सिद्धांत का उल्लंघन किया है; असमानों के साथ समान व्यवहार करके अनुच्छेद 14 का उल्लंघन किया है; और भारत में MSME सुरक्षा के वैधानिक तथा नीतिगत उद्देश्यों को कमजोर किया है।

ग्रेविटा ने कॉपर सेक्टर में क्षमता बढ़ाने हेतु अधिग्रहण किया

ग्रेविटा इंडिया ने राष्ट्रीय मैटल इंडस्ट्रीज़ में 98.5% हिस्सेदारी ₹559 करोड़ (\$60 मिलियन) में हासिल कर ली है। राष्ट्रीय मैटल इंडस्ट्रीज़ कॉपर और कॉपर अलॉय प्रोडक्ट्स की एक प्रमुख भारतीय निर्माता कंपनी है। ग्रेविटा ने कॉपर बाज़ार में विस्तार करने हेतु यह अधिग्रहण किया है।

राष्ट्रीय मैटल इंडस्ट्रीज़ का लगभग 40% राजस्व यू ए ई, यू एस, थाईलैंड, श्रीलंका, केन्या, इंडोनेशिया, ओमान और सऊदी अरब जैसे प्रमुख अंतरराष्ट्रीय बाज़ारों को किए जाने वाले निर्यात से आता है।

राष्ट्रीय मैटल इंडस्ट्रीज़ गुजरात में विनिर्माण इकाई संचालित करती है, जिसकी स्थापित उत्पादन क्षमता प्रति वर्ष 31,000 टन से अधिक है। □

फैडरेशन ने दिल्ली हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर की

करता है कि नई बैटरियों में घरेलू स्तर पर रीसायकल की गई सामग्री का न्यूनतम उपयोग हो। जहाँ तक बैटरियों के आयातकों का संबंध है, नई बैटरियों में घरेलू स्तर पर रीसायकल की गई सामग्री के न्यूनतम उपयोग की अपनी बाध्यता को पूरा करने के लिए उनके पास दो विकल्प हैं: पहला, वे अन्य व्यवसायों के माध्यम से अपनी बाध्यता पूरी करें; या दूसरा, वे घरेलू स्तर पर रीसायकल की गई सामग्री की उतनी ही मात्रा का निर्यात कर दें। इस प्रकार, आयातक अपनी बाध्यता पूरी करने के लिए या तो अन्य व्यवसायों के माध्यम से रीसायकल किए गए कच्चे माल का उपयोग करवाने के लिए विवश होते हैं (जिन पर न तो ऐसी बाध्यता होती है और न ही इसे पूरा करने का कोई व्यावसायिक प्रोत्साहन); या फिर उन्हें घरेलू स्तर पर रीसायकल किए गए 'लैंड' (सीसे) का निर्यात करना पड़ता है—जो कि भारत में लैंड संसाधनों की ज्ञात कमी को देखते हुए, व्यावसायिक रूप से अव्यावहारिक और

रणनीतिक रूप से अनुचित परिणाम है। यह ढाँचा कृत्रिम और शोषणकारी 'द्वितीयक बाज़ार' (secondary markets) तैयार करता है, मध्यस्थों द्वारा मुनाफाखोरी को बढ़ावा देता है, और सक्रिय रूप से घरेलू संसाधन सुरक्षा को कमजोर करता है। यह एक ऐसी बाध्यता है जिसे व्यवहार में पूरा करना असंभव है; यह संविधान के अनुच्छेद 19(1)(g) का उल्लंघन करती है; और यह घरेलू अर्थव्यवस्था के भीतर दुर्लभ खनिज संसाधनों के संरक्षण के उस घोषित वैधानिक उद्देश्य को ही विफल कर देती है, जिसके लिए ये नियम बनाए गए थे।

यह रिट याचिका फैडरेशन की ओर से श्री दिनेश पाराशर एडवोकेट और श्री सरवेंद्र एम. त्रिपाठी एडवोकेट द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट में 15 अप्रैल को दायर की गई। नोटिस जारी हो चुके हैं। 3 जुलाई 2026 को सुनवाई होगी। मूल रिट याचिका बैटरी डायरेक्टरी के अंग्रेजी संस्करण में प्रकाशित की जा रही है। □

उत्तर प्रदेश में लिथियम-आयन बैटरी और रेयर अर्थ रीसाइक्लिंग की नई सुविधा शुरू

रोकलिंक इंडिया (Rocklink India Pvt. Ltd.) ने उत्तर प्रदेश के सिक्ंदराबाद में UPSIDC इंडस्ट्रियल एरिया में लिथियम-आयन बैटरी और रेयर अर्थ मैग्नेट के लिए एक इंटीग्रेटेड रीसाइक्लिंग प्लांट शुरू किया है। यह देश में कंपनी का इस तरह का पहला ऑपरेशन है। यह प्लांट लिथियम-आयन बैटरी, रेयर अर्थ मैग्नेट और मेटल वाले इंडस्ट्रियल कचरे को प्रोसेस करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह ज़रूरी मटीरियल की घरेलू रिकवरी को मजबूत करने और सर्कुलर सप्लाय चैन विकसित करने के प्रयासों में मदद करता है। इस सुविधा की शुरुआती लिथियम-आयन बैटरी रीसाइक्लिंग क्षमता सालाना 10,000 टन है, साथ ही रेयर अर्थ मैग्नेट प्रोसेसिंग ऑपरेशन की क्षमता हर महीने 60 टन है।



कंपनी 2026 की पहली तिमाही में 1,500 टन सालाना क्षमता वाली एक रेयर अर्थ क्लोराइड प्रोसेसिंग यूनिट भी शुरू करने वाली है। इसका मकसद रेयर अर्थ मटीरियल की रिकवरी में अपनी क्षमताओं का विस्तार करना है। Rocklink India Pvt. Ltd. के डायरेक्टर **लियोनार्ड अलेक्जेंडर अंसोर्गे** के अनुसार, इस सुविधा का मकसद इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, रिन्यूएबल एनर्जी और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होने वाले ज़रूरी मटीरियल के लिए रीसाइक्लिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में मदद करना है।

यह प्लांट Extended Producer Responsibility (EPR) नियमों के तहत रजिस्टर्ड है और 95 तरह के बैटरी स्क्रेप को संभालने में सक्षम है, जिसमें प्री और पोस्ट कंज्यूमर मटीरियल शामिल हैं। यह कंपनी की खुद विकसित की गई रीसाइक्लिंग प्रक्रिया का इस्तेमाल करता है, जिसे R2 कहा जाता है। यह प्रक्रिया बैटरी के कचरे को दोबारा इस्तेमाल होने वाले कंपोनेंट्स में बदल देती है, साथ ही खतरनाक उत्सर्जन को भी नियंत्रित करती है। कंपनी का कहना है कि यह प्रक्रिया अलग-अलग बैटरी फॉर्मेट और केमिस्ट्री को संभालने के लिए डिज़ाइन की गई है। □

केवल एक ही जाति है— मानवता की जाति।

केवल एक ही धर्म है— प्रेम का धर्म।

केवल एक ही भाषा है— हृदय की भाषा।

– भगवान श्री सत्य साई बाबा



नेगेटिव सल्फेशन का वारंटी क्लेमस पर असर

– Cancrie Pvt. Ltd., Jaipur, Mob.: 8302522817–

लै ड-एसिड बैटरियां आज भी गाड़ियों और बैकअप में ज्यादा इस्तेमाल होती हैं क्योंकि ये सस्ती होती हैं और आसानी से उपलब्ध होती हैं। लेकिन बैटरी की लाइफ और वारंटी क्लेमस को प्रभावित करने वाली एक बड़ी समस्या है नेगेटिव प्लेट सल्फेशन।

इस लेख में आसान तरीके से बताया गया है कि कैसे NAM (नेगेटिव एक्टिव मटेरियल) की पोरसिटी, मजबूती और सल्फेशन का व्यवहार बैटरी की परफॉर्मेंस, फेल्योर और आपके बिजनेस पर असर डालते हैं।

1. नेगेटिव सल्फेशन क्या है और यह क्यों महत्वपूर्ण है

डिस्चार्ज के दौरान, नेगेटिव प्लेट में मौजूद लैड (Pb) लैड सल्फेट (PbSO₄) में बदल जाता है। चार्जिंग के दौरान, यह PbSO₄ वापस Pb में बदल जाना चाहिए।

लेकिन वास्तविक परिस्थितियों में:

- Partial State of Charge (PSOC) साइकलिंग
- हाई डिस्चार्ज रेट

- अपर्याप्त चार्जिंग

इन कारणों से कठोर और अपरिवर्तनीय PbSO₄ क्रिस्टल बन जाते हैं। इसका प्रभाव:

- एक्टिव सरफेस एरिया कम हो जाता है
- चार्ज एक्सेप्टेंस घटती है

यही नेगेटिव सल्फेशन है, जो निम्न समस्याओं का प्रमुख कारण है:

- खराब C-rate परफॉर्मेंस
- बढ़े हुए वारंटी क्लेमस

2. NAM पोरसिटी की भूमिका

पोरोसिटी क्या है?

पोरोसिटी का मतलब है नेगेटिव एक्टिव मटेरियल के अंदर मौजूद सूक्ष्म छिद्र (pore structure), जो इलेक्ट्रोलाइट के प्रवाह और आयन ट्रांसपोर्ट को संभव बनाते हैं।

यह क्यों महत्वपूर्ण है:

अच्छी और समान रूप से वितरित पोरसिटी से:

- इलेक्ट्रोलाइट की बेहतर पहुंच
- अधिक रिएक्शन सरफेस एरिया
- तेज चार्ज एक्सेप्टेंस

पोरोसिटी का व्यावहारिक प्रभाव:

पैरामीटर	कम पोरोसिटी	ऑप्टिमाइज़्ड पोरोसिटी
चार्लज एक्सेप्टेंस	कम	अधिक
सल्फेशन रेट	तेज	धीमा
बैटरी लाइफ	कम	अधिक

3. NAM स्ट्रेंथ की भूमिका

स्ट्रेंथ क्या है?

NAM स्ट्रेंथ का मतलब है नेगेटिव प्लेट की मैकेनिकल मजबूती, विशेषकर:

- बार-बार साइकलिंग
- कंपनी (ऑटोमोटिव उपयोग)
- डीप डिस्चार्ज

यह क्यों महत्वपूर्ण है:

कमजोर NAM के कारण:

- एक्टिव मटेरियल का झड़ना (Shedding)
- कंडक्टिव पाथ का नुकसान
- तेज डिग्रेडेशन

भारतीय सड़कों (ऊबड़-खाबड़ परिस्थितियों) में कमजोर NAM बैटरी लाइफ को 15–20% तक कम कर सकता है।

NAM का व्यावहारिक प्रभाव:

पैरामीटर	कमजोर NAM	मजबूत NAM
Shedding	अधिक	कम
इंटरनल रेसिस्टेंस	जल्दी बढ़ता है	स्थिर रहता है
लाइफ साइकल	कम	बेहतर

4. सल्फेशन डिले: छुपा हुआ अवसर

सल्फेशन को पूरी तरह रोका नहीं जा सकता, लेकिन इसे देरी (delay) से शुरू किया जा सकता है।

मुख्य विचार:

यदि सल्फेशन देर से शुरू होता है:

- बैटरी अधिक समय तक बेहतर काम करती है
- कैपेसिटी लॉस देर से शुरू होता है
- वारंटी अवधि आसानी से पूरी हो जाती है

व्यावहारिक प्रभाव:

अगर सल्फेशन 15–20% लाइफ तक टल जाए:

- शुरुआती फेल्योर कम होते हैं
- ग्राहक संतुष्टि बढ़ती है
- रिटर्न रेट कम होता है

5. इसका वित्तीय प्रभाव

मान्यताएँ:

- वार्षिक बिक्री: 50,000 बैटरियाँ
- वारंटी रिटर्न रेट: 5%
- प्रति रिटर्न लागत: ₹2,000

वर्तमान नुकसान:

- 2,500 रिटर्न/वर्ष
- कुल नुकसान = ₹50 लाख/वर्ष

यदि सल्फेशन से जुड़े फेल्योर 25%

कम हो जाएं:

- रिटर्न घटकर 1,875
- बचत = ₹12.5 लाख/वर्ष

अतिरिक्त लाभ:

- बेहतर ब्रांड इमेज
- डीलर के साथ कम friction
- ज्यादा रिपीट सेल्स

केवल 5–7% Ah दक्षता सुधार और 8–10% बेहतर C-rate परफॉर्मेंस भी e-rickshaw जैसे उपयोगों में क्लेमस को काफी कम कर सकता है।

6. सारांश

फैक्टर	सल्फेशन पर प्रभाव	वारंटी पर प्रभाव
पोरोसिटी	आयन एक्सेस बेहतर	शुरुआती फेल्योर कम
स्ट्रेंथ	मटेरियल लॉस रोकता है	लाइफ बढ़ाता है
सल्फेशन डिले	परफॉर्मेंस लंबे समय तक	रिटर्न कम

7. उभरता हुआ समाधान: इंजीनियर्ड पोरस कार्बन

इन चुनौतियों को हल करने के लिए इंडस्ट्री अब इंजीनियर्ड पोरस कार्बन एडिटिव्स की ओर बढ़ रही है।

ये क्या करते हैं:

- कंडक्टिव पोरस नेटवर्क बनाते हैं
 - चार्ज एक्सेप्टेस सुधारते हैं
 - लोकल सल्फेशन कम करते हैं
 - स्ट्रक्चरल मजबूती बढ़ाते हैं
- देखे गए लाभ (लैब + फील्ड):
- 5–7% अधिक Ah दक्षता
 - 8–10% बेहतर C-rate परफॉर्मेंस
 - सल्फेशन दर से शुरू होता है
 - Shedding में कमी

निष्कर्ष

नेगेटिव सल्फेशन केवल केमिस्ट्री की समस्या नहीं है—यह एक बिजनेस समस्या है।

इन सुधारों से:

- पोरोसिटी
 - मैकेनिकल स्ट्रेंथ
 - सल्फेशन रेसिस्टेंस
- सीधे लाभ मिलता है:
- कम वारंटी क्लेमस
 - ज्यादा ग्राहक विश्वास
 - बेहतर मुनाफा

छोटे मटेरियल सुधार बड़े स्तर पर बड़ा आर्थिक प्रभाव डाल सकते हैं।

आज के प्रतिस्पर्धी और लागत-संवेदनशील बाजार में, नेगेटिव प्लेट की इंजीनियरिंग अब विकल्प नहीं - आवश्यकता है।

यह बदलाव उन्नत सामग्री इंजीनियरिंग की दिशा में Cancrie Nanocarbon द्वारा दर्शाए गए नवाचार से शुरू होता है। इंजीनियर्ड कार्बन की एक नई श्रेणी के रूप में विकसित, इस सामग्री को नेगेटिव एक्टिव मटेरियल में सहजता से एकीकृत करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे चर्चा किए गए महत्वपूर्ण गुणों में उल्लेखनीय वृद्धि होती है। कंडक्टिव नेटवर्क को ऑप्टिमाइज़ करके और प्लेट की मैकेनिकल मजबूती में सुधार करके, Cancrie Nanocarbon अपरिवर्तनीय सल्फेशन में देरी करने और मटेरियल शेडिंग को नाटकीय रूप से कम करने के लिए एक बेहतर समाधान प्रदान करता है, जिससे वारंटी क्लेमस में कमी और बैटरी जीवन की वृद्धि के अपेक्षित वित्तीय प्रभाव में सीधे योगदान मिलता है। □

जीवन के भवन के लिए,
आत्मविश्वास उसकी नींव है,
आत्म-संतोष उसकी दीवार है,
आत्म-बलिदान उसकी छत है।



ग्रेटर नोएडा में चलती इलेक्ट्रिक कार में लगी आग

चालक ने कूदकर बचाई जान

प्रनो वेस्ट में गौड़ सिटी के समीप 11 मई की सुबह एक इलेक्ट्रिक कार में अचानक भीषण आग लग गई। स्थिति को भांपते हुए चालक ने तत्परता दिखाते हुए कार से कूदकर अपनी जान बचाई। देखते ही देखते कार आग का गोला बन गई।

सड़क पर आग की ऊंची लपटें उठने से आसपास मौजूद लोग दहशत में आ गए और मौके पर भीड़ जुट गई। घटना की सूचना तुरंत दमकल विभाग को दी गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।

घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। शुरुआती जांच में बैटरी या तकनीकी खराबी को आग लगने की वजह माना जा रहा है।



जीवन एक चुनौती है, इसका सामना करो! जीवन
एक सपना है, इसे साकार करो! जीवन एक खेल
है, इसे खेलो! जीवन प्रेम है, इसका आनंद लो!

- भगवान श्री सत्य साई बाबा

UK में हर पाँच घंटे में एक लिथियम-आयन बैटरी में आग लगती है

आँकड़ों से पता चलता है कि पूरे UK में फायर ब्रिगेड हर पाँच घंटे में एक लिथियम-आयन बैटरी में लगी आग को बुझा रही है। फायर ब्रिगेड के प्रमुखों ने चेतावनी दी है कि इस नए खतरे के बढ़ते चलन के मुकाबले लोगों में जागरूकता और सरकारी नियम-कानूनों में उतनी तेजी नहीं आई है।

लिथियम-आयन बैटरियाँ ज़्यादातर रिचार्जबल डिवाइसों को पावर देती हैं, जिनमें मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रिक टूथब्रश, खिलौने और वेप्स, साथ ही ई-बाइक, ई-स्कूटर और इलेक्ट्रिक वाहन शामिल हैं।

वैश्विक बिज़नेस बीमा कंपनी QBE द्वारा 'सूचना की स्वतंत्रता' (Freedom of Information) के तहत मांगी गई जानकारी से पता चलता है कि वर्ष 2025 में फायर ब्रिगेड को लिथियम-आयन बैटरियों से जुड़ी 1,760 आग की घटनाओं के लिए बुलाया गया था। इसका मतलब है कि हर दिन औसतन 4.8 आग की घटनाएँ हुईं, जो पिछले तीन सालों की तुलना में 147% ज़्यादा है।

इसी दौरान इलेक्ट्रिक वाहनों में आग लगने की घटनाओं में 133% की बढ़ोतरी हुई, जबकि UK की सड़कों पर इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या तीन गुना हो गई।

QBE के शोधकर्ताओं ने पाया कि देश भर में लिथियम-आयन बैटरियों में लगने वाली कुल



आग की घटनाओं में से लगभग एक-तिहाई घटनाएँ ई-बाइक से जुड़ी थीं। उन्होंने यह भी पाया कि प्रमाणित (सर्टिफाइड) मॉडलों की तुलना में, बाद में बदलाव की गई (रेट्रोफिटिड) और बदली हुई ई-बाइकों में आग लगने की संभावना कहीं ज़्यादा थी।

वर्ष 2025 में ई-बाइकों में आग लगने की घटनाओं के लिए फायर ब्रिगेड को 520 बार बुलाया गया, जबकि वर्ष 2022 में यह संख्या 149 थी। लंदन फायर ब्रिगेड ने इनमें से 44% घटनाओं को संभाला; पिछले साल राजधानी में ई-बाइकों में आग लगने की 230 घटनाएँ हुईं और पिछले तीन सालों में इन घटनाओं में पाँच लोगों की जान चली गई।

लंदन फायर ब्रिगेड के रोकथाम (Prevention) विभाग के डिप्टी कमिश्नर, स्पेंसर सटक्लिफ़ ने कहा कि फायर ब्रिगेड ई-बाइक और ई-स्कूटर में आग लगने की घटनाओं को लेकर "बेहद चिंतित" है, और इस बारे में लोगों में जागरूकता होना बहुत ज़रूरी है।



GRAVITA
INDIA LIMITED



रिसाइक्लिंग क्या है?

परिभाषा, प्रकार और भारत के लिए इसका महत्व

- ग्रेविटा इंडिया लि., जयपुर -

रीसाइक्लिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें इस्तेमाल की गई या बेकार सामग्री जैसे कागज, प्लास्टिक, कांच और धातु को इकट्ठा करना, छांटना और उन्हें नए उपयोगी उत्पादों में परिवर्तित करना शामिल है। इन सामग्रियों को लैंडफिल में फेंकने के बजाय, रिसाइक्लिंग उन्हें एक नया जीवन देता है, जिससे प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण होता है और पर्यावरण को होने वाला नुकसान कम होता है।

भारत प्रतिवर्ष 62 मिलियन टन से अधिक ठोस वेस्ट उत्पन्न करता है। यहाँ रिसाइक्लिंग केवल एक पर्यावरणीय विकल्प नहीं है एक राष्ट्रीय आवश्यकता है।

इस लेख में, आप जानेंगे कि रिसाइक्लिंग

का क्या अर्थ है, यह कैसे काम करता है, इसके विभिन्न प्रकार क्या हैं, और भारत का रिसाइक्लिंग भविष्य नीतिगत कार्रवाई और व्यक्तिगत जिम्मेदारी दोनों पर क्यों निर्भर करता है।

रीसाइक्लिंग की परिभाषा:

इसका क्या अर्थ है?

"रीसाइक्लिंग" शब्द एक चक्र की अवधारणा से आया है - सामग्री उत्पादन, उपयोग, संग्रह और पुनर्संसाधन के माध्यम से आगे बढ़ती है और फिर कच्चे माल के रूप में आपूर्ति श्रृंखला में पुनः प्रवेश करती है।

रीसाइक्लिंग की एक सरल परिभाषा:

रीसाइक्लिंग वेस्ट पदार्थों को नए उत्पादों में बदलने की प्रक्रिया है ताकि संभावित रूप से

उपयोगी सामग्रियों की बर्बादी को रोका जा सके, ताजे कच्चे माल की खपत को कम किया जा सके और ऊर्जा के उपयोग और प्रदूषण को कम किया जा सके।

रीसाइक्लिंग चक्रीय अर्थव्यवस्था का एक मुख्य स्तंभ है - एक ऐसा मॉडल जहां संसाधनों को यथासंभव लंबे समय तक उपयोग में रखा जाता है, और जिम्मेदारी से पुनः प्राप्त और पुनर्जीवित करने से पहले उनसे अधिकतम मूल्य निकाला जाता है।

रीसाइक्लिंग कैसे काम करती है? तीन चरणों वाली प्रक्रिया

चरण 1 - स्रोत पर पृथक्करण

रीसाइक्लिंग की शुरुआत घरों, कार्यालयों और औद्योगिक स्थलों से होती है। कचरे को अलग-अलग श्रेणियों में विभाजित करना आवश्यक है - सूखा रीसाइक्लिंग योग्य कचरा (कागज, प्लास्टिक, धातु, कांच) और गीला या गैर-रीसाइक्लिंग योग्य कचरा। उचित पृथक्करण के बिना, रीसाइक्लिंग योग्य सामग्री दूषित हो जाती है और उसका मूल्य कम हो जाता है।

चरण 2 - संग्रह और छँटाई

नगरपालिका निकाय, निजी रीसाइक्लिंग कंपनियाँ या अनौपचारिक कचरा बीनने वाले अलग-अलग कचरे को एकत्र करते हैं और उसे छँटाई केंद्रों तक ले जाते हैं। यहाँ, सामग्री को प्रकार, श्रेणी और गुणवत्ता के आधार पर मैन्युअल छँटाई और स्वचालित प्रणालियों दोनों का उपयोग करके आगे वर्गीकृत किया जाता है।

चरण 3 - प्रोसेसिंग और पुनर्निर्माण

छोटे गए पदार्थों को साफ किया जाता है, छोटे-छोटे टुकड़ों में काटा जाता है, पिघलाया जाता है या रासायनिक रूप से विघटित करके द्वितीयक कच्चे माल में परिवर्तित किया जाता है।

फिर इन्हें उन निर्माताओं को बेचा जाता है जो इनका उपयोग नए सामान बनाने के लिए करते हैं - इस प्रकार संसाधन चक्र पूरा होता है।

रीसाइक्लिंग के प्रकारः प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक

सभी प्रकार की रीसाइक्लिंग एक जैसी नहीं होती। रीसाइक्लिंग के तीन मुख्य प्रकार हैं, जिनमें से प्रत्येक अलग-अलग सामग्रियों और अंतिम उपयोगों के लिए उपयुक्त है।

1. प्राथमिक रीसाइक्लिंग (क्लोउड-लूप पुनर्चक्रण)

पुनर्चक्रित सामग्री को उसी उत्पाद में वापस परिवर्तित कर दिया जाता है जिससे वह प्राप्त हुई थी। उदाहरणः इस्तेमाल किए गए एल्युमीनियम के डिब्बों को पिघलाकर नए एल्युमीनियम के डिब्बे बनाए जाते हैं। यह सबसे कुशल प्रक्रिया है क्योंकि इससे सामग्री की गुणवत्ता बनी रहती है। भारत में, एल्युमीनियम रीसाइक्लिंग से बॉक्साइट अयस्क से प्राथमिक एल्युमीनियम उत्पादन के लिए आवश्यक ऊर्जा का 95% तक बचाया जा सकता है।

2. द्वितीयक रीसाइक्लिंग (खुला चक्र या डाउनसाइक्लिंग)

सामग्रियों को पुनर्चक्रित करके एक अलग - अक्सर निम्न गुणवत्ता वाले - उत्पाद में परिवर्तित किया जाता है। उदाहरणः पीईटी प्लास्टिक की बोतलों को संसाधित करके कपड़ों या कालीन के लिए पॉलिएस्टर फाइबर बनाया जाता है। भारत में प्लास्टिक रीसाइक्लिंग का यह सबसे आम रूप है, जहाँ शुद्ध गुणवत्ता वाले

प्लास्टिक की पुनर्प्राप्ति सीमित है।

3. तृतीयक रीसाइक्लिंग (रासायनिक पुनर्चक्रण)

बुनियादी रसायनों या ईंधनों को प्राप्त करने के लिए पदार्थों को आणविक या रासायनिक स्तर पर तोड़ा जाता है। उदाहरण: वेस्ट टायरों को पायरोलिसिस द्वारा ईंधन तेल या कार्बन ब्लैक में परिवर्तित किया जाता है। ग्रेविटा इंडिया उन्नत वेस्ट टायर रीसाइक्लिंग संयंत्रों का संचालन करती है जो इस विधि का उपयोग करके रबर कचरे से मूल्यवान सामग्री प्राप्त करते हैं, जिसे अन्यथा खुले में जला दिया जाता।

सामग्री के आधार पर रीसाइक्लिंग की अन्य श्रेणियां

कागज और कार्डबोर्ड की रीसाइक्लिंग – वनों की कटाई को कम करता है; एक टन पुनर्चक्रित कागज लगभग 17 पेड़ों को बचाता है।

प्लास्टिक रीसाइक्लिंग – भारत में यह अत्यंत महत्वपूर्ण है, जहां प्रतिवर्ष 35 लाख टन प्लास्टिक कचरा उत्पन्न होता है।

धातु रीसाइक्लिंग – लैड, तांबा, एल्युमीनियम और इस्पात सबसे मूल्यवान रीसाइक्लिंग योग्य धातुओं में से हैं।

कांच का रीसाइक्लिंग – कांच को गुणवत्ता में कमी आए बिना अनिश्चित काल तक पुनर्चक्रित किया जा सकता है।

ई-कचरा रीसाइक्लिंग – बेकार इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से बहुमूल्य धातुओं को पुनर्प्राप्त करता है

बैटरी रीसाइक्लिंग – विषाक्त लैड और एसिड को मिट्टी और भूजल में प्रवेश करने से रोकता है

रबर/टायर रीसाइक्लिंग – बेकार टायरों को ईंधन, क्रम्ब रबर और कार्बन ब्लैक में परिवर्तित करता है

रीसाइक्लिंग क्यों महत्वपूर्ण है? इसके पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक लाभ।

पर्यावरणीय लाभ

ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करता है – लैंडफिल और भस्मीकरण से होने वाले उत्सर्जन को सीमित करता है

प्रदूषण को रोकता है – अनुचित वेस्ट निपटान के कारण होने वाले वायु और जल प्रदूषण से बचने में मदद करता है।

प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करता है – कच्चे माल के निष्कर्षण की आवश्यकता को कम करता है, जिससे जंगलों, नदियों और पारिस्थितिक तंत्रों की रक्षा होती है।

लैंडफिल कचरे को कम करता है – पहले से ही भरे हुए लैंडफिलों में भेजे जाने वाले कचरे की मात्रा को कम करता है

आर्थिक लाभ

इससे द्वितीयक कच्चे माल का उत्पादन होता है जिससे आयातित संसाधनों पर भारत की निर्भरता कम होती है।

संग्रहण, छँटाई, प्रसंस्करण और विनिर्माण के माध्यम से राजस्व और रोजगार उत्पन्न करता है।

यह ऑटोमोटिव, नवीकरणीय ऊर्जा और निर्माण जैसे क्षेत्रों को पुनर्चक्रित सामग्री उपलब्ध कराता है।

स्थानीय सरकारों के वेस्ट प्रबंधन खर्चों को कम करता है

सामाजिक लाभ

यह कार्यक्रम 40 लाख से अधिक अनौपचारिक कचरा बीनने वालों का समर्थन करता है, जो भारत की रिसाइक्लिंग अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं।

रिसाइक्लिंग क्षेत्र को औपचारिक रूप देने से इस कार्यबल के लिए वेतन, स्वास्थ्य स्थिति और सामाजिक सुरक्षा में सुधार होता है।

घरेलू स्तर पर उपभोग की आदतों के प्रति जागरूकता और जिम्मेदारी पैदा करता है।

भारत के लिए रिसाइक्लिंग क्यों महत्वपूर्ण है?

आंकड़ों के आधार पर भारत का वेस्ट संकट भारत में प्रतिवर्ष 62 मिलियन टन नगरपालिका टोस वेस्ट उत्पन्न होता है।

इस कचरे का केवल 20-25% ही प्रभावी ढंग से उपचारित या पुनर्चक्रित किया जाता है।

भारत में प्रतिवर्ष 35 लाख टन प्लास्टिक कचरा उत्पन्न होता है - जिसमें से 10% से भी कम का रिसाइक्लिंग हो पाता है।

यह देश विश्व में ई-कचरा उत्पादन करने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश है।

भारत के लैंडफिल अपनी क्षमता तक पहुँच रहे हैं, और दिल्ली जैसे शहर प्रतिदिन हजारों टन असंसाधित कचरे का प्रबंधन कर रहे हैं।

संसाधन निर्भरता

भारत धातुओं, कच्चे तेल और कच्चे माल का काफी मात्रा में आयात करता है। रिसाइक्लिंग से पहले से प्रचलन में मौजूद चीजों को पुनः प्राप्त और पुनः उपयोग करके इस निर्भरता को कम किया जा सकता है - जैसे कि इस्तेमाल की गई बैटरियों में मौजूद लैड और बेकार इलेक्ट्रॉनिक

उपकरणों में मौजूद तांबा।

जलवायु प्रतिबद्धताएं

भारत ने 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन हासिल करने का संकल्प लिया है और अपने सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की उत्सर्जन तीव्रता को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। रिसाइक्लिंग औद्योगिक ऊर्जा खपत और लैंडफिल मीथेन उत्सर्जन को कम करके इसमें प्रत्यक्ष भूमिका निभाता है - ये दोनों भारत में ग्रीनहाउस गैस के महत्वपूर्ण स्रोत हैं।

भारत की रिसाइक्लिंग नीति रूपरेखा

भारत ने वेस्ट प्रबंधन और रिसाइक्लिंग को नियंत्रित करने के लिए एक व्यापक कानूनी ढांचा विकसित किया है। प्रमुख विनियमों में शामिल हैं:

टोस वेस्ट प्रबंधन नियम, 2016 - शहरी स्थानीय निकायों के लिए स्रोत-वार पृथक्करण और संग्रह मानकों को अनिवार्य बनाता है

प्लास्टिक वेस्ट प्रबंधन नियम, 2016 (संशोधित 2021, 2022) - एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक को विनियमित करता है और प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व को अनिवार्य बनाता है।

ई-कचरा प्रबंधन नियम, 2022 - उत्पादकों के लिए अधिकृत विघटनकर्ताओं के माध्यम से ई-कचरा एकत्र करने और रिसाइक्लिंग करने के लक्ष्य निर्धारित करता है।

बैटरी वेस्ट प्रबंधन नियम, 2022 - बैटरी निर्माताओं और आयातकों के लिए ईपीआर दायित्वों को स्थापित करता है

टायरों के वेस्ट प्रबंधन नियम - ये नियम उपयोग में समाप्त हो चुके टायरों के संग्रह और

रीसाइक्लिंग को नियंत्रित करते हैं।

एंड ऑफ लाइफ व्हीकल पॉलिसी – स्क्रेप किए गए वाहनों के रीसाइक्लिंग से संबंधित प्रावधान।

विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व (ईपीआर)

ईपीआर एक नीतिगत दृष्टिकोण है जो उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड मालिकों को उनके उत्पादों के जीवन चक्र के अंत में प्रबंधन के लिए कानूनी रूप से जिम्मेदार ठहराता है। भारत के ईपीआर ढांचे के तहत, कंपनियों को वार्षिक संग्रहण और रीसाइक्लिंग लक्ष्यों को पूरा करना, सीपीसीबी पोर्टल पर पंजीकरण करना और अनुपालन रिपोर्ट जमा करना अनिवार्य है। इससे रीसाइक्लिंग का वित्तीय बोझ नगरपालिकाओं से हटकर उन लोगों पर आ जाता है जो उत्पादों से लाभ कमाते हैं।

भारत में रीसाइक्लिंग को बढ़ावा देने में ग्रेविटा इंडिया किस प्रकार योगदान दे रही है?

ग्रेविटा इंडिया देश की अग्रणी रीसाइक्लिंग कंपनियों में से एक है, जिसका संचालन एशिया, अफ्रीका और यूरोप में फैला हुआ है। ग्रेविटा का काम कई प्रमुख रीसाइक्लिंग क्षेत्रों तक फैला हुआ है:

लैड बैटरी रीसाइक्लिंग – प्रयुक्त लैड-एसिड बैटरियों से लैड की पर्यावरण-अनुकूल पुनर्प्राप्ति, जो ऑटोमोटिव, दूरसंचार और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों को सेवाएं प्रदान करती है।

प्लास्टिक स्क्रेप प्रसंस्करण – प्लास्टिक कचरे को पैकेजिंग, निर्माण और विनिर्माण के लिए पुनः प्रयोज्य कर्णों में परिवर्तित करना

एल्युमीनियम रीसाइक्लिंग – प्राथमिक उत्पादन की तुलना में बहुत कम ऊर्जा लागत पर

स्क्रेप से एल्युमीनियम को पुनः प्राप्त करना।

रबर और बेकार टायरों का रीसाइक्लिंग – पायरोलिसिस के माध्यम से पुराने टायरों को ईंधन तेल, कार्बन ब्लैक और क्रम्ब रबर में परिवर्तित करना

लिथियम बैटरी रीसाइक्लिंग – इलेक्ट्रिक वाहनों, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऊर्जा भंडारण प्रणालियों से लिथियम-आयन बैटरियों को पुनर्प्राप्त करना और संसाधित करना ताकि लिथियम, कोबाल्ट और निकेल जैसी मूल्यवान सामग्रियों को पुनः प्राप्त किया जा सके।

तांबे का रीसाइक्लिंग – स्क्रेप केबलों, तारों और औद्योगिक कचरे से तांबा निकालकर और उसे परिष्कृत करके उच्च गुणवत्ता वाला तांबा तैयार करना, जिसका उपयोग विद्युत और निर्माण कार्यों में किया जा सके।

रीसाइक्लिंग परामर्श – टिकाऊ वेस्ट प्रबंधन प्रथाओं को लागू करने वाले उद्योगों को संपूर्ण समाधान और रणनीतिक मार्गदर्शन प्रदान करना

भारत में बेहतर रीसाइक्लिंग के लिए व्यक्ति क्या कर सकते हैं?

घर पर सूखे और गीले कचरे को प्रतिदिन अलग-अलग करें - यह एक आदत प्रभावी रीसाइक्लिंग को संभव बनाती है।

प्लास्टिक की बोतलों, डिब्बों और कंटेनरों को सूखे कचरे के डिब्बे में डालने से पहले अच्छी तरह धो लें।

छोटे प्लास्टिक के पैकेट और सिंगल-सर्व पाउच से बचें - इन्हें इकट्ठा करना और रीसायकल करना मुश्किल होता है।

पुनः उपयोग योग्य विकल्पों को अपनाएं: कपड़े के थैले, स्टील की बोतलें और पुनः भरने योग्य कंटेनर

रिसाइक्लिंग क्या है?

ई-कचरा और बैटरियों को सामान्य कचरे के साथ फेंकने के बजाय अधिकृत संग्राहकों को सौंप दें।

जानिए कि क्या-क्या रिसाइकल किया जा सकता है

व्यापक रूप से रिसाइक्लिंग योग्य: पीईटी बोतलें, एचडीपीई कंटेनर, एल्युमीनियम के डिब्बे, स्टील के टिन, कार्डबोर्ड, साफ कागज, कांच की बोतलें

विशेष प्रसंस्करण की आवश्यकता: टेद्रा पैक कार्टन, बहुस्तरीय पैकेजिंग फिल्म, मिश्रित प्लास्टिक

रिसाइक्लिंग योग्य नहीं: भोजन से सना हुआ कागज, इस्तेमाल किए गए डायपर, चीनी मिट्टी के बर्तन, मोम लेपित कागज

भारत में रिसाइक्लिंग के सामने आने वाली चुनौतियाँ

कम जागरूकता - कई परिवार कचरे को अलग-अलग नहीं करते या रिसाइक्लिंग योग्य वस्तुओं के महत्व को नहीं समझते।

बुनियादी ढांचे की कमी - रिसाइक्लिंग सुविधाएं शहरी केंद्रों में केंद्रित हैं; ग्रामीण क्षेत्रों में इनकी पहुंच नहीं है।

अनौपचारिक क्षेत्र के जोखिम - कचरा बीनने वालों को विषैले पदार्थों के असुरक्षित संपर्क से स्वास्थ्य संबंधी खतरों का सामना करना पड़ता है।

संदूषण - अविभाजित वेस्ट रिसाइक्लिंग योग्य सामग्रियों की गुणवत्ता और मात्रा को कम करता है।

कचरा बीनने वालों को विषैले पदार्थों के असुरक्षित संपर्क से स्वास्थ्य संबंधी खतरों का सामना करना पड़ता है।

खंडित आपूर्ति श्रृंखलाएं - संग्रहण, छँटाई और प्रसंस्करण अक्सर आपस में जुड़े नहीं होते, जिससे लागत बढ़ जाती है।

भारत में रिसाइक्लिंग का भविष्य: प्रमुख अवसर

संग्रहण दक्षता में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी-आधारित वेस्ट ट्रेकिंग और ट्रेसिबिलिटी सिस्टम

जर्मनी की फांड प्रणाली से प्रेरित प्लास्टिक की बोतलों और कांच के लिए जमा वापसी योजनाएं

टियर 2 और टियर 3 शहरों में रिसाइक्लिंग बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ावा देना।

दूध के पैकेट, पैकेजिंग फिल्म और ई-कचरे के लिए खरीददारी मॉडल का पड़ोस के स्तर पर विस्तार

अनौपचारिक वेस्ट क्षेत्र को बेहतर वेतन और स्वास्थ्य सुरक्षा के साथ औपचारिक आपूर्ति श्रृंखलाओं में एकीकृत करना।

रिसाइक्लिंग के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

सरल शब्दों में रिसाइक्लिंग क्या है?

रिसाइक्लिंग वह प्रक्रिया है जिसमें प्लास्टिक, कागज, कांच और धातु जैसी प्रयुक्त या बेकार सामग्रियों को फेंकने के बजाय नए उत्पादों में परिवर्तित किया जाता है। इससे ऊर्जा की बचत

होती है, प्रदूषण कम होता है और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण होता है।

रीसाइक्लिंग के 3 प्रकार क्या हैं?

रीसाइक्लिंग के तीन मुख्य प्रकार हैं: प्राथमिक रीसाइक्लिंग (क्लोज्ड-लूप, जहां सामग्री फिर से वही उत्पाद बन जाती है), द्वितीयक रीसाइक्लिंग (ओपन-लूप या डाउनसाइक्लिंग, जहां सामग्री एक अलग उत्पाद बन जाती है), और तृतीयक रीसाइक्लिंग (रासायनिक पुनर्चक्रण, जहां सामग्री को रासायनिक घटकों या ईंधन में तोड़ा जाता है)।

भारत में रीसाइक्लिंग क्यों

महत्वपूर्ण है?

भारत में प्रतिवर्ष 62 मिलियन टन से अधिक वेस्ट उत्पन्न होता है, जिसमें से केवल 20-25% का ही प्रभावी ढंग से निपटारा हो पाता है। इस वेस्ट भार के प्रबंधन, आयातित कच्चे माल पर निर्भरता कम करने, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को घटाने और रीसाइक्लिंग अर्थव्यवस्था में लाखों लोगों के लिए आजीविका सृजित करने के लिए रीसाइक्लिंग अत्यंत महत्वपूर्ण है।

भारत में रीसाइक्लिंग की दर

क्या है?

भारत में नगरपालिका ठोस कचरे के रीसाइक्लिंग की कुल दर 20-25% अनुमानित है। प्लास्टिक रीसाइक्लिंग की दर इससे कहीं कम है - भारत के प्रतिवर्ष 35 लाख टन प्लास्टिक कचरे में से 10% से भी कम का रीसाइक्लिंग हो पाता है। अनौपचारिक क्षेत्र, जिसमें 40 लाख से अधिक कचरा बीनने वाले शामिल हैं, रीसाइक्लिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

किन सामग्रियों को रीसायकल किया जा सकता है?

रीसाइक्लिंग योग्य सामान्य सामग्रियों में पीईटी प्लास्टिक की बोतलें, एचडीपीई कंटेनर, एल्युमीनियम के डिब्बे, स्टील के टिन, कांच की बोतलें, कार्डबोर्ड और साफ कागज शामिल हैं। इन्हें धोकर, सुखाकर संग्रह के लिए सूखे कचरे के डिब्बे में डाल देना चाहिए।

भारत में विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) क्या है?

ईपीआर एक सरकारी नीति है जिसके तहत उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड मालिकों को अपने उत्पादों के जीवन चक्र के अंत में उत्पन्न कचरे को इकट्ठा करने और पुनर्चक्रित करने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। भारत ने प्लास्टिक, ई-कचरा, बैटरी और टायरों पर ईपीआर लागू किया है, जिसका अनुपालन केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा निगरानी किया जाता है।

रीसाइक्लिंग और अपसाइक्लिंग में क्या अंतर है?

रीसाइक्लिंग में किसी सामग्री को तोड़कर उसे नए उत्पाद में परिवर्तित किया जाता है, जो कभी-कभी कम गुणवत्ता का होता है। अपसाइक्लिंग में किसी वेस्ट वस्तु को बिना तोड़े ही उसे उच्च मूल्य या गुणवत्ता वाली वस्तु में बदल दिया जाता है - उदाहरण के लिए, पुराने टायरों से बगीचे का फर्नीचर बनाना। दोनों ही वेस्ट को कम करते हैं लेकिन उनके तरीके अलग-अलग हैं। □

बैटरी डायरेक्टरी-2026 में प्रोडक्ट्स मैनुफैक्चरर्स इंडेक्स

<u>PRODUCT</u>	<u>PAGE NO.</u>
01. BATTERIES (AUTOMOTIVE, INV., TUBULAR & MC) MFRS.	126
02. BATTERIES (E-RICKSHAW) MFRS.	143
03. BATTERIES (INDUSTRIAL) MFRS.	188
04. BATTERIES (SOLAR) MFRS.	189
05. BATTERIES (TRACTION) MFRS.	1634
06. BATTERIES (TRACTOR) MFRS.	1635
07. BATTERIES (TWO WHEELER) MFRS.	1635
08. BATTERIES (VRLA, SMF) MFRS.	1641
09. BATTERY ASSOCIATIONS.	1646
10. BATTERY CHARGERS, E-RICKSHAW BATTERY CHARGER & VOLTAGE STABILIZER MFRS.	1646
11. BATTERY CHEMICAL IMPORTERS/SUPPLIERS.	1647
12. BATTERY CONSULTANTS.	1648
13. BATTERY FAIR ORGANISERS.	1649
14. BATTERY GRADE SULPHURIC ACID MFRS./SUPPLIERS.	1649
15. BATTERY INK MFRS./IMPORTERS.	1649
16. BATTERY MACHINERY, DIES, MOULDS & TOOLS MFRS.	1650
17. BATTERY PLATE (ALL TYPES) MFRS.	1652
18. BATTERY PLATE CHARGER MFRS.	1656
19. BATTERY PLATE FORMATION RECTIFIERS MFRS.	1656
20. BATTERY ROPES (HANDLES) MFRS.	1656
21. BATTERY SCRAP.	1657
22. BATTERY SOFTWARES.	1657
23. BATTERY SPARE PARTS.	1657
24. BATTERY TERMINAL.	1657
25. BATTERY TERMINAL FASTENERS (NUT & BOLT).	1657
26. BATTERY TERMINAL JELLY.	1657
27. BATTERY TESTING EQUIPMENTS.	1658
28. BATTERY TESTING LABORATORIES.	1659
29. BATTERY TROLLEY & TRAY MFRS.	1659
30. BATTERY WIRES & CABLES.	1659

31. BATTERY/BATTERY PARTS IMPORTERS.....	1659
32. BOTTOM BAR/TOP BAR.....	1660
33. CERAMIC VENT PLUG MFRS.....	1660
34. CONTAINERS (HARD RUBBER) MFRS.....	1660
35. CONTAINERS (PP/PPCP) MFRS.....	1660
36. CONTAINERS (VRLA & SMF BATT.) MFRS.....	1662
37. DE-MINERALISED WATER, DISTILLED WATER MFRS./SUPPLIERS.....	1662
38. DESIGNS, STICKERS & PRINTING FOR BATT. IND.	1662
39. E-RICKSHAW, EV MFRS./ACCESSORIES MFRS., SUPPLIER.....	1663
40. HEATER MFRS.....	1663
41. INDUSTRIAL RO SYSTEMS & DM PLANT MFRS.....	1663
42. INVERTER, SOLAR INVERTER, UPS & STABILIZER MFRS.....	1663
43. LEAD & NON-FERROUS METAL IMPORTER/SUPPLIER.....	1667
44. LEAD SUB-OXIDE, RED LEAD & LITHARGE MFRS.....	1667
45. LEAD, RECYCLED LEAD, LEAD ALLOYS MFRS.....	1669
46. LED LIGHT MFRS.....	1673
47. LITHIUM BATT./ LITHIUM BATT. PARTS/ ACCESSORIES	1674
48. MARKET RATES	1675
49. MSMES.....	1675
50. PACKING JALI MFRS.....	1675
51. PASTING PAPER	1676
52. PLASTIC RAW MATERIAL MFRS./SUPPLIERS	1676
53. POLLUTION CONTROL SYSTEM MFRS.	1676
54. SEALING GLUE (EPOXY RESINS).....	1676
55. SEPARATOR (AGM) MFRS.....	1676
56. SEPARATOR (CELLULOSE) MFRS.....	1677
57. SEPARATOR (PE) MFRS./IMPORTER.....	1677
58. SEPARATOR (PVC) MFRS.....	1678
59. SEPARATOR (RUBBER) MFRS.....	1678
60. SEPARATOR RAW MATERIAL MFRS./SUPPLIER	1678
61. SOLAR PANEL, EQUIPMENTS MFRS./IMPORTER/SUPPLIER.....	1678
62. THERMOCOL AND OTHER PACKING MATERIAL MFRS.....	1682
63. TUBULAR BAGS (GAUNTLETS) MFRS.....	1682
64. WEIGHING SCALES.....	1682



बैटरी डायरेक्टरी एंड इयर बुक

Fortnightly Magazine Registered with Registrar of Newspapers for India. Regd. No. R.N. 43092/85
510, Janta Flats, G.T.B. Enclave, Delhi -110 093, Tel.: 011-22593952
Mobile: 9810268067, 9910699538, 9971150801, E-mail: battdir@gmail.com,
Website: www.batterydirectory.co.in, www.onlinebatterydirectory.com

विषय: बैटरी डायरेक्टरी के पाक्षिक व वार्षिक अंकों में विज्ञापन।

दिनांक- 21 जनवरी 2026

प्रिय महोदय,

बैटरी डायरेक्टरी के पाक्षिक अंकों (हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों) में विज्ञापन देकर आप बहुत कम राशि में देश-विदेश के समस्त बैटरी, बैटरी पार्ट्स निर्माताओं, बैटरी रिबिल्डरों, बैटरी स्मेल्टर्स आदि तक अपना बिक्री संदेश पहुंचा सकते हैं। बैटरी डायरेक्टरी के पाक्षिक अंक प्रत्येक मास की पहली तारीख को हिंदी संस्करण और 15 तारीख को अंग्रेजी संस्करण 2100 की संख्या में प्रकाशित होते हैं। बैटरी डायरेक्टरी का डिजिटल संस्करण इंटरनेट पर भी उपलब्ध है। बैटरी डायरेक्टरी-2026, पाक्षिक अंक और बैटरी उद्योग के नवीनतम समाचार अब वैबसाइट www.batterydirectory.co.in, www.onlinebatterydirectory.com पर उपलब्ध हैं।

विज्ञापन दरें प्रति बार इस प्रकार हैं:

	कुल
1. फ्रंट कवर (आकार 12.5 से.मी. X 14 से.मी.)	₹ 18,000 + 5% GST
2. इनसाइड फ्रंट कवर (आकार 19 से.मी. X 11 से.मी.)	₹ 13,000 + 5% GST
3. पृष्ठ न. 3 (आकार 19 से.मी. X 11 से.मी.)	₹ 12,000 + 5% GST
4. बैक कवर (आकार 18.5 से.मी. X 12 से.मी.)	₹ 15,000 + 5% GST
5. इनसाइड बैक कवर (आकार 19 से.मी. X 12 से.मी.)	₹ 11,550
6. राज्य के मैप के सामने व पते की शुरुआत में	₹ 10,500 + 5% GST
7. पूरा पृष्ठ मल्टी कलर (आकार 19 से.मी. X 11 से.मी.)	₹ 9,000 + 5% GST
8. आधा पृष्ठ मल्टी कलर (आकार 9.5 से.मी. X 11 से.मी.)	₹ 5,250
9. एक चौथाई पृष्ठ मल्टी कलर (आकार 4.5 से.मी. X 11 से.मी.)	₹ 2,835
10. पूरा पृष्ठ ब्लैक एण्ड व्हाइट (आकार 19 से.मी. X 11 से.मी.)	₹ 5,250 + 5% GST
11. आधा पृष्ठ ब्लैक एण्ड व्हाइट (आकार 9.5 से.मी. X 11 से.मी.)	₹ 2,600 + 5% GST
12. एक चौथाई पृष्ठ ब्लैक एण्ड व्हाइट (आकार 4.5 से.मी. X 11 से.मी.)	₹ 1,417.5 + 5% GST

बैटरी डायरेक्टरी-2026

की कुछ विशेषताएँ:-

- ✓ दो भागों में 1528 पृष्ठ।
- ✓ बैटरी उद्योग/व्यापार से जुड़ी 6,246 फर्मों का विवरण।
- ✓ 2363 फर्म के वेरिफाईड GST नंबर।
- ✓ बैटरी से जुड़े 64 प्रकार के उद्योगों का संग्रह व सूची।



✓ WhatsApp से जुड़ी 2964

फर्म।

✓ 3228 फर्म ईमेल पर

और 1566 फर्म वेबसाइट

पर उपलब्ध।

✓ गत वर्ष की डायरेक्टरी

में 1231 बदलाव/संशोधन।

✓ विज्ञापनदाताओं के पते

उनके लोगो सहित।

✓ बैटरी डायरेक्टरी की

वेबसाइट www.battery-

directory.co.in पर प्रतिदिन

लगभग 300 से अधिक

विजिट्स।



यूनिऑन बैंक ऑफ इंडिया



CHANDRA MOHAN
chandra-mohan@unionbank

12. एक चौथाई पृष्ठ ब्लैक एण्ड व्हाइट (आकार 4.5 से.मी. x 11 से.मी.) ₹ 1,500 +5% GST ₹ 1,575

13. बैटरी डायरेक्टरी की वेबसाइट के फ्रंट पेज पर (आकार 100px x 700px) (कम से कम 30 दिन की बुकिंग अनिवार्य) ₹ 99 प्रतिदिन (+18% GST) ₹ 1,752

वर्ष में कम से कम 6 अंकों के लिए एडवांस पेमेंट सहित विज्ञापन देने पर 10 प्रतिशत छूट दी जाती है व बैटरी डायरेक्टरी-2027 में प्रमुख स्थान दिया जा सकेगा।

ऑनलाइन बैटरी डायरेक्टरी (www.onlinebatterydirectory.com पर उपलब्ध) व बैटरी डायरेक्टरी (हार्ड कॉपी) दोनों का वार्षिक शुल्क मात्र ₹ 1,650/- है। बैटरी डायरेक्टरी (हार्ड कॉपी) का वार्षिक शुल्क मात्र ₹ 650/- है। सदस्यों को वार्षिक बैटरी डायरेक्टरी के साथ दिसंबर तक पाक्षिक अंक रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा भेजे जाएंगे। ऑनलाइन बैटरी डायरेक्टरी एक्सेस करने के लिए यूजर आईडी व पासवर्ड भेजा जाएगा जिससे आप व आपका पूरा स्टाफ पूरे वर्ष हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध ऑनलाइन डायरेक्टरी का लाभ उठा सकेंगे। अपना सदस्यता शुल्क अथवा विज्ञापन शुल्क निम्नलिखित बैंकों में से किसी भी एक बैंक में ट्रांसफर द्वारा अपने शहर में ही जमा करा कर उसकी रसीद प्राप्त करने के लिए हमें एसएमएस या फोन द्वारा सूचित करें:

OD BANK ACCOUNT of BATTERY DIRECTORY AND YEAR BOOK			
BANK NAME	ACCOUNT NO	IFSC CODE	BRANCH ADDRESS
UNION BANK OF INDIA	565101000013133	UBIN0920711	GTB Enclave, NVM, Delhi-93
SAVING BANK ACCOUNT of CHANDRA MOHAN			
ICICI Bank	113301000225	ICIC0001133	Dilshad Garden, Delhi-95
UNION BANK OF INDIA	520101018250706	UBIN0920711	GTB Enclave, NVM, Delhi-93
PhonePe / Google Pay / Paytm Account	CHANDRA MOHAN - Mobile No. 9810268067 in A/c: 113301000225		

वार्षिक व पाक्षिक बैटरी डायरेक्टरी देश-विदेश के सभी प्रमुख बैटरी/बैटरी पार्स उद्यमियों तक पहुँचाने का सर्वोत्तम माध्यम है। बैटरी डायरेक्टरी के पाक्षिक अंकों व बैटरी डायरेक्टरी-2027 में विज्ञापन देने के लिए कृपया अनुराधा: 9971150801, चंद्रमोहन: 9810268067 या शेखर वर्मा: 9910699538 को संपर्क करें। आशा है कि सेवा का अवसर प्राप्त होगा।

बैटरी डायरेक्टरी एंड इयर बुक

चंद्रमोहन

बैटरी डायरेक्टरी में विज्ञापन देने के लाभ

यदि आप बैटरी डायरेक्टरी में अपना विज्ञापन देते हैं, तो आपको निम्नलिखित लाभ मिलेंगे:-

- ✓ देश-विदेश के बैटरी उद्यमियों के बीच आपके उत्पाद का प्रचार होगा।
- ✓ आपको बैटरी डायरेक्टरी-2026 (कीमत रु. 650/-) का एक सेट नि:शुल्क मिलेगा।
- ✓ ऑनलाइन बैटरी डायरेक्टरी-2026 का सदस्यता शुल्क 1000/- है, यह सदस्यता आपको नि:शुल्क दी जाएगी। न केवल आप बल्कि आपका स्टाफ भी अपने मोबाइल/लैपटॉप/कंप्यूटर पर डायरेक्टरी देख सकेंगे और इसका लाभ उठा सकेंगे।
- ✓ प्रोडक्ट मैनुफेक्चरिंग इंडेक्स में आपके नाम को हाइलाइट किया जाएगा।
- ✓ आपका मोबाइल नंबर बैटरी डायरेक्टरी व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल किया जाएगा जिससे देश के बैटरी उद्यमियों से आप सीधा संपर्क बना सकेंगे व आवश्यकताओं की पूर्ति ग्रुप में ही कर सकते हैं।
- ✓ बैटरी डायरेक्टरी के पाक्षिक अंक आपको पूरे वर्ष नि:शुल्क मिलेंगे।
- ✓ पत्रिका में प्रकाशन के लिए आप लेख, समाचार भेज सकते हैं।
- ✓ बैटरी डायरेक्टरी में Batterymen at a Glance कॉलम के अंतर्गत आपका फोटो प्रकाशित हो सकता है।
- ✓ डायरेक्टरी में आपका पता आपके ब्रांड नाम के लोगों के साथ छपा होगा, जिसके परिणामस्वरूप आपके पते पर ध्यान आकर्षित होगा।
- ✓ ऑनलाइन डायरेक्टरी में, आप सर्च टूल का उपयोग करके कुछ ही क्षणों में उन लोगों के विवरण और उनके विज्ञापनों तक आसानी से पहुँच सकते हैं जिन्हें आप ढूँढना चाहते हैं। इस तरह दूसरे लोग भी आप तक पहुँच सकते हैं। इस आसान पहुँच के कारण व्यवसाय बढ़ता है।
- ✓ ऑनलाइन बैटरी डायरेक्टरी पोर्टल www.onlinebatterydirectory.com में आपका विज्ञापन आपके शहर के अंतर्गत दिखाई देगा।
- ✓ ऑनलाइन बैटरी डायरेक्टरी पोर्टल www.onlinebatterydirectory.com में आपकी कंपनी का नाम आपके राज्य, शहर के अंतर्गत दिखाई देगा।

एक रंगीन पृष्ठ विज्ञापन के लिए शुल्क (जीएसटी सहित) 9450/- रुपये है
आधे रंगीन पृष्ठ विज्ञापन के लिए शुल्क (जीएसटी सहित) 5250/- रुपये है
एक b/w पृष्ठ विज्ञापन के लिए शुल्क (जीएसटी सहित) 5250/- रुपये है

चंद्र मोहन: 9810268067

बैटरी डायरेक्टरी का सदस्य बनने के लाभ

यदि आप बैटरी डायरेक्टरी का सदस्य बनते हैं, तो आपको निम्नलिखित लाभ मिलेंगे:-

- ✓ जनवरी-2026 में प्रकाशित हो चुकी 1528 पृष्ठों की बैटरी डायरेक्टरी-2026 (कीमत 650/- रुपये) का एक सेट रजिस्टर्ड पोस्ट से मिलेगा।
- ✓ बैटरी डायरेक्टरी के पाक्षिक अंक (प्रत्येक माह दो मैगज़ीन, हिंदी व अंग्रेज़ी) जो अभी तक साधारण डाक द्वारा भेजे जाते थे, दिसम्बर-2026 तक रजिस्टर्ड डाक (मैगज़ीन पोस्ट) द्वारा भेजे जायेंगे। प्रकाशन के पांच दिन के अन्दर आपको प्राप्त हो जायेंगे।
- ✓ आपकी फर्म का नाम व पता आगामी पाक्षिक अंक और जनवरी-2027 में प्रकाशित होने वाली बैटरी डायरेक्टरी-2027 में निशुल्क प्रकाशित होगा।
- ✓ बैटरी डायरेक्टरी के WhatsApp ग्रुप में आपको शामिल किया जायेगा जिससे देश के बैटरी उद्यमियों से आप सीधा संपर्क बना सकेंगे व आवश्यकताओं की पूर्ति ग्रुप में ही कर सकते हैं।
- ✓ ऑनलाइन बैटरी डायरेक्टरी में आपके पते को शामिल किया जायेगा। इसमें सर्च टूल के माध्यम से उद्यमी आपसे आसानी से संपर्क कर सकेंगे।
- ✓ बैटरी, इन्वर्टर, बैटरी चार्जर, यूपीएस, आर.ओ. निर्माताओं को आपके बारे में जानकारी मिलेगी, वे आपसे और आप उनसे संपर्क कर सकेंगे।
- ✓ पत्रिका में देश कि अनेक बैटरी एसोसिएशनों और बैटरी फैडरेशन की गतिविधियों के समाचार प्रकाशित होते हैं। आप भी बैटरी जगत से जुड़ पाएंगे।
- ✓ बैटरी डायरेक्टरी के पाक्षिक अंकों में बैटरी, बैटरी मशीनरी, बैटरी चार्जर आदि पर लेख प्रकाशित होते हैं। उनके अध्ययन से आपको लाभ होगा।
- ✓ बैटरी डायरेक्टरी में प्रकाशन हेतु आप अपना समाचार भी भेज सकते हैं।
बैटरी डायरेक्टरी (हार्ड कॉपी) का सदस्यता शुल्क मात्र 650/- रुपये है
ऑनलाइन बैटरी डायरेक्टरी का सदस्यता शुल्क मात्र 1000/- रुपये है

चंद्र मोहन: 9810268067

चरित्र ही शिक्षा का लक्ष्य है

- भगवान श्री सत्य साई बाबा -

जन्म से लेकर सारी क्रियायें ज्ञान प्राप्त करने और ज्ञानार्जन को लेकर ही होती हैं। आदर्शवादिता को छात्रों में फैलाना और विकास करना है यह अत्यन्त आवश्यक है। जिससे वे अपने हृदय को आनंद से भर लें और सुख सभी को दे सकें। आज अनेकों शिक्षा देने वाली संस्थायें पूरे विश्व में फैली पड़ी हैं। परन्तु कोई भी इस तत्व को नहीं पहचानता कि शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या है? छात्र अपने मस्तिष्क को पुस्तकीय ज्ञान से भर लेते हैं। परीक्षायें देते हैं। अंक प्राप्त करते हैं और समझते हैं कि उन्होंने शिक्षा प्राप्त कर ली। मूर्ख व्यक्ति अपनी शिक्षा और प्रखरता चातुर्य के बावजूद स्वयं को नहीं पहचानता है। दुष्ट व्यक्ति अपने बुरे गुणों को नहीं छोड़ता है।

आधुनिक शिक्षा वाद-प्रतिवाद को बढ़ावा देती है बजाय सम्पूर्ण ज्ञान के। शिक्षा को प्राप्त करने का क्या लाभ? जो आपको अमरत्व की ओर न ले जा सके। आप ऐसी शिक्षा ग्रहण करो कि अमर हो जाओ। (तेलुगू कविता)

आधुनिक शिक्षा पद्धति से छात्र लाभान्वित नहीं हो रहे हैं। वे केवल उपाधि प्राप्त कर अपने अधिकारियों से प्रशंसा प्राप्त कर रहे हैं अर्थात् में वे शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझने में असमर्थ हैं आधुनिक समय के छात्र, खेलकूद एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आन्त्य को समझने में असमर्थ हैं। सभी खेल प्रतियोगिताओं में एक जीतता है और एक हारता है। लोग ऐसी संघटनाओं में रुचि रखते हैं यानि उनके परिणामों में रुचि रखते हैं। वे खेलों में छिपी प्रेरणा को नहीं समझते हैं। खेलों का उद्देश्य निर्णयात्मक परिणामों के लिए नहीं वरन, उस प्रतियोगिता में भाग लेने वालों की प्रेरणात्मक भावना के लिए होता है।

जीवन एक खेल है, खेलो इसे
जीवन एक सपना है, समझो इसे
जीवन प्रेम है, अनुभव करो इसे।


जो छात्र उपरोक्त शब्दों का अर्थ और आन्त्य को समझ सकता है और अपने जीवन में उसका अभ्यास करता है वही सही छात्र है।

आधुनिक शिक्षा प्रणाली, छात्रों को सही गलत के भेद को समझने के बदले, छात्रों को संकुचित विचारधारा का बना रही है। न ही छात्रों को सही ज्ञान प्रदान कर रही है। आज की शिक्षण प्रणाली अर्थहीन हो गई है जो पाठ्य पुस्तकें छात्रों के लिए निर्मित हैं वे उन्हें सही शिक्षा सार नहीं दे पा रही हैं। शायद सरकार भी इन वास्तविकताओं से अनभिज्ञ है। ऐसा लगता है कि कोई नीचे स्तर पर ही सारे निर्णय लेता है, बिना उच्च अधिकारियों की सलाह के। यह शिक्षा पद्धति सरकार को भी बदनाम कर रही है। परन्तु कोई भी इसके प्रति

विद्या का

तात्पर्य है ज्ञान

ज्ञान का अर्थ भौतिक चातुर्य नहीं। सच्चा ज्ञान वह है जो अन्तर्दृष्टि का विकास करे एवं आपको दिव्यानुभूति और अलौकिक आनंद का अनुभव प्रदान करे।



जागरूक नहीं है, कोई भी प्राचीन काल की शिक्षा पद्धति के साथ जुड़ी पवित्रता को समझना ही नहीं चाहता है। छात्र केवल पुस्तकीय ज्ञान से ही अनुबंधित हैं। वे शिक्षा के सार को नहीं समझते हैं छात्रों के पुस्तकीय ज्ञान की परीक्षा की जाती है। उन्हें ज्ञान की प्रायोगिकता का जरा भी भान नहीं है। छात्र समझते हैं कि शिक्षा की उपाधियाँ केवल जीवनोपाधि को प्राप्त करने के लिए हैं। "शिक्षा जीवन के लिए है जीने के लिए नहीं।" परन्तु ना ही माता-पिता, ना ही छात्र इस तथ्य या इस अर्थात् को समझना चाहते हैं। माँ-बाप अपने बच्चों की परीक्षाओं में प्राप्त अंकों को देख कर फूले नहीं समाते हैं। वे चिन्ता ही नहीं करते कि उन्होंने पहाड़ जितने अपशब्द भी सीख रखे हैं। इस बात की जानकारी तो तभी होगी जब वह रिपोर्ट कार्ड को देखेंगे और समझेंगे। तभी वे समझ पायेंगे कि उनके बच्चों को किस प्रकार की शिक्षा दी जा रही है। आधुनिक शिक्षा में प्रगति और

विकास के कारण वेदाध्ययन और शास्त्रों के अध्ययन को विस्मृत किया जा चुका है। इस परिस्थिति में आधुनिक शिक्षा किस प्रकार सही ज्ञान आपको दे सकेगी।

माता-पिता और गुरुजनों को उत्तरदायित्व लेना है

आपको ऐसी शिक्षा प्राप्त करनी है जिससे आप का समाज लाभान्वित हो और विश्व भी उसका फायदा उठाये। आज के समाज की स्थिति क्या है? हम किस प्रकार इसे आदर्श समाज बना सकेंगे? सामाजिक विकास के लिए इस प्रकार का प्रयत्न कौन करेगा? कोई भी इस दिशा में सोचना ही नहीं चाहता है। यहाँ तक कि आधुनिक शिक्षा विभाग तक इस दिशा में क्रियाशील, चिन्तनशील नहीं है। अर्थात् समाज की सेवा की दिशा में कोई नहीं सोच रहा है। यदि कोई व्यक्ति, विशेष शिक्षा पद्धति में बदलाव की बात कहता

हैं तो छात्र उसे अनसुना कर देते हैं। छात्र समझते हैं कि पुस्तकीय ज्ञान ही सब कुछ है और यही शिक्षा की चरम सीमा है। अपने छात्रों को बुजुर्गों द्वारा सही शिक्षा का कर्तव्य भार उठाना है छात्रों को समाज की मर्यादा को सदा ऊँचा उठाये रखना



चाहिए। हमें अपने पूर्वजों और साधुओं को सुनना और मानना है जिन्होंने शिक्षा के सही अर्थ को हमें समझाया था। शिक्षा को लेकर अहंकारी बनना मूर्खता का चिन्ह है केवल कुछ उपाधियाँ प्राप्त कर लेना ही सब कुछ नहीं है। आपको


समाज की आवश्यकताओं को समझना है और छात्र अपनी शिक्षा से सामाजिक विकास के लिए कटिबद्ध रहें। लोग कहते हैं कि वे समाज की सेवा कर रहे हैं। परन्तु उन्हें समाज की असली आवश्यकताओं का ना कोई अंदाजा है ना कोई समझ ही। वैसी सेवा समाज सेवा नहीं कहलाती है वरन् वह समाधि सेवा हो जाती है। अर्थात् एक जीवनहीन एक यांत्रिक कार्य प्रणाली मात्र है। समाज विकास तब करेगा जब शिक्षा पद्धति को सही किया जायेगा। विदेशी शिक्षा, विदेशों में शिक्षा के प्रति भारतीयों का रुझान बढ़ता ही जा रहा है। दूसरी ओर वैदिक पुस्तकों और वैदिक शिक्षा की परवाह नहीं है इसी को माता-पिता को अपने बच्चों को बचपन से सिखाना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत। उन्हें अपने बच्चों का दाखिला एक कॉलेज या स्कूल में कर संतुष्ट नहीं होना चाहिए या फिर उनके उपाधि प्राप्त करने तक नहीं छोड़ना चाहिए। उन्हें इस बात को

पक्का कर लेना है कि उनके शिक्षित छात्र देश की सेवा में भागीदार बन सकेंगे। सरकार इस दिशा में शायद कुछ न कर सके। इसलिए माता-पिता का कर्तव्य बन जाता है कि वे अपनी संतान का इस दिशा में सही मार्गदर्शन करें। माता-पिता को अपनी संतान में समाज सेवा, समाजोपयोगी कार्यों के लिए प्रेरणा और उत्साह बढ़ाना है। माता-पिता पुस्तकीय ज्ञान की प्रमाणिकता और उपयोगिता को यदि नहीं जानेंगे या समझेंगे कि उनकी संतान समाजोपयोगी शिक्षा प्राप्त कर रही है या नहीं तो वे सरकार से आधुनिक शिक्षा प्रणाली को लेकर विरोध कैसे करेंगे? माता-पिता ऐसे किसी मुद्दे को क्या उठावेंगे। आधुनिक समाज में वर्तमान समय में लोगों ने शिक्षण संस्थानों और संस्थाओं को शिक्षा के कर्मागारों के रूप में परिवर्तन कर डाला है। ये कर्मागार उपाधि ग्रहित छात्रों की प्रति वर्ष उत्पत्ति कर रहे हैं वह भी बड़ी संख्या में। छात्र अकेले ही इन सब के लिए दोषी नहीं ठहराये जा सकते हैं। गुरु अध्यापक, माता-पिता और सरकार समान रूप से इस दोष के भागीदार हैं। छात्रों का कक्षा में अच्छी श्रेणी में उत्तीर्ण होना, अच्छे अंक प्राप्त करना ही पर्याप्त नहीं है। उन्हें समाज की उन्नति और विकास के लिए तैयार रहना है और राष्ट्र इस प्रकार के माता-पिता के लिए नाम और प्रसिद्धि दिलाता है। माता-पिता को अपने बच्चों के विकास का समय-समय पर अवलोकन करना अत्यन्त आवश्यक है। अपनी संतान में श्रेष्ठ गुणों यानि सद्गुणों के बीज बोने हैं। वह भी छुटपन से ही डालने चाहिए। तभी वे सही नागरिक का रूप और आकार ले सकेंगे। उन्हें विश्राम नहीं करना चाहिए ना ही संतुष्ट होना है कि उनके बेटे या बेटी अच्छे अंक प्राप्त कर रहे हैं। माता-पिता को चाहिए कि वे

देखें कि उनकी संतान किस प्रकार की पुस्तकें पढ़ रही हैं? उनके मित्र किस स्वभाव के हैं और मित्रों का प्रभाव उनके बच्चों पर कैसा पड़ रहा है? कुछ छात्र अर्थहीन उपन्यास पढ़ते रहते हैं परन्तु माता-पिता अपने बच्चों को बेकार की पुस्तकें पढ़ने से मना नहीं करते, ऊपर से कहते हैं कि, “इसमें क्या बुरी बात है किताबों के पढ़ने मात्र से कुछ नहीं होता है। ऐसे माता-पिता के लिए बच्चों की खुशी ही सब कुछ है। इस प्रकार वे अपने बच्चों को बिगाड़ रहे हैं। वे जरा भी चिंतित नहीं हैं कि उनकी संतान उनकी अनुपस्थिति में कैसा व्यवहार कर रही है। बच्चों को केवल शिक्षित करना कोई मायने नहीं रखता है जब तक कि उनके व्यवहार को माता-पिता ठीक करने का प्रयास न करें। माता-पिता अपने बच्चों में आदर्शों की स्थापना हमारे पूर्वजों का उदाहरण देकर ही कर सकते हैं। जिन्होंने अपने बच्चों को अच्छे और श्रेष्ठ नागरिक के रूप में तराशा था। छात्रों की शिक्षा में आध्यात्मिकता और धर्म निरपेक्षता का सही मिश्रण होना चाहिए।

आधुनिक शिक्षा पद्धति में सुधार लाना है माता-पिता अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में पढ़ता देख गौरव का अनुभव करते हैं। परन्तु इस प्रकार की शिक्षा से किस प्रकार का प्रभाव उनके बच्चों पर पड़ रहा है वे समझने में असमर्थ हैं छोटे बच्चे किंडरगार्टन स्कूल में नर्सरी राइमस सीखते हैं जैसे बाबा बलैक शीप और बच्चे स्वयं ही बलैक शीप बनते चलते जा रहे हैं। काली भेड़ों की कालिमा उनमें में भरती जा रही है। मैं वर्तमान की आधुनिक शिक्षा पद्धति से बहुत दुखी हूँ क्योंकि इस शिक्षा पद्धति से छात्रों का जीवन पूरी तरह से बरबाद हो रहा है। इसीलिए मैंने करोड़ों रुपये व्यय करके शिक्षा संस्थाओं की स्थापना की है। जहाँ छात्रों के चरित्र को तराशा जाये।

मैं छात्रों को पाठ्य पुस्तकें भी मुफ्त में दिलावा रहा हूँ। आज की दुनियाँ में परिस्थिति इतनी खराब है कि एक प्राथमिक स्कूल में प्रवेश कराने के लिए काफी पहले ही हजारों रुपये स्कूल में दान के रूप में देना पड़ता है और बच्चे के नाम का पंजीकरण करवाना पड़ता है। माता-पिता प्रसन्न हो जाते हैं कि उनके बच्चे का दाखिला एक अच्छा कहलाने वाले स्कूल में हो गया है। उन्हें कोई परवाह नहीं कि इस प्रकार की शिक्षा से उनको क्या लाभ होगा। अनन्ततः बच्चे इस शिक्षा पद्धति से लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं, बच्चे अपने माता-पिता की परेशानियों को नहीं समझते हैं ना ही वह अपने लिए क्या गलत है क्या सही है यही समझ पाते हैं। आज शिक्षा का स्तर इतना गिर चुका है कि इस शिक्षा से हम किसी प्रमुख मुखिया या नेता को कैसे तैयार कर सकते हैं। आज की शिक्षा पद्धति से ना ही माता-पिता, ना ही गुरु, ना ही छात्र, कोई भी यह समझने में असमर्थ है कि इस शिक्षा से समाज को कोई लाभ हो भी सकता है या नहीं। इसीलिए सभी को एक जुट होकर इस समाज में सम्पूर्ण परिवर्तन लाने के लिए कंधे से कंधा मिला कर चलना होगा। वर्तमान समय में छात्र उपद्रव ही वर्धमान स्थिति में हैं। जिस किसी के तरफ देखो, छात्रों की कोई गलती नहीं है वे स्वयं ही अच्छे स्वभाव के हैं। परन्तु गलती है तो शिक्षकों की, सरकार की या फिर बुजुर्गों की। (अगले अंक में जारी)



संक्रान्ति संदेश, 15 जनवरी 2004,
प्रशांति नित्यम

Authorised Distributors

- **Dyna Flock**
Kanecaron® (Japan)
Modacrylic Fiber



- **Lignin Vanisperse**
 **Borregaard (Norway)**

- **Barium Sulphate**

RANKEM
Total Scientific Laboratory Solutions Provider

Now part of
AVANTOR
PERFORMANCE MATERIALS



Contact:

Address : X-5, Okhla Industrial Area, Phase II, NEW DELHI - 110020
Tel. : 011-40546767, 41034009, 26383696
Mobiles : 9899860510, 9313094952, 9811890510
E-mail : harshaindus@yahoo.com, info@harshaindustry.com
Website : www.harshaindustry.com

HARASHPAL SINGH SAWHNEY: 9810030510

AJAYVIR: 9910137312

HARI CHAND: 9313094952, SUNITHA: 9899860510, 9811890510




An ISO 9001:2015 Company

INTEX[®]

S E P A R A T O R

INDUSTRIAL TUBULAR
In Both Thickness 1.6mm & 1.25mm



AUTOMOTIVE
1mm, .12mm & 1.1mm Thickness



TUBULAR BAG SIZE
5mm, 6mm, 6.2mm, 7.3mm, 8mm

INTEX[®] P.V.C. SEPARATOR



E-RICKSHAW
Only One Manufacture Of
P.V.C. E-RICKSHAW SEPARATOR IN INDIA



ipeX[®]
Battery Plates
TUBULAR PLATE



BATTERY P.P. CONTAINER



INDIA HEAD SALES
+91 8176008008, 7275008008

HARYANA & GUJARAT
+91 9670008008

UP WESTERN & DELHI
+91 7572008008

CUSTOMER CARE NO.
+91 7317008008, 7310008008

COMPANY NO.
+91 9839141510, 9984141510

email: intexgroup.2012@gmail.com
intex.2010@rediffmail.com